

**BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
EXECUTION APPLICATION NO. 15 OF 2026**

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 928 OF 2024

IN THE MATTER OF:

SAURABH TIWARI

...Applicant

Versus

UNION OF INDIA

...Respondents

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response on behalf of the respondent no.-5, Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance with the order dated 18.03.2026 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi	1-6
2.	ANNEXURE-R5/1 A copy of letter dated 18.06.2026	7-8
3.	ANNEXURE-R5/2 A copy of letter dated 22.06.2026	9-11
4.	ANNEXURE-R5/3 A copy of DFO letter dated 02.07.2026	12-31
5.	ANNEXURE-R/4 A copy BHU letter dated 29.06.2026	32-53
6.	ANNEXURE-R5/5 A copy of letter dated 03.07.2026	54-60

THROUGH

DATE: 06.07.2026

PLACE: NEW DELHI



**STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB,
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303**

(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI



EXECUTION APPLICATION NO. 15 OF 2026
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 928 OF 2024



IN THE MATTER OF:

Saurabh Tiwari

Versus

Union of India

.....Applicant
.....Respondent(s)

S. No. 40159
DATE 17/3/26
NOTARY INDIA

RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-5, UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE
WITH THE ORDER DATED 18.03.2026 PASSED BY THE
HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI

I, Robit Singh, aged about 54 Year S/o
Shri N.C. Sachan, do hereby solemnly affirm and state on oath as
under:

- That I am presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh
Pollution Control Board (hereinafter "UPPCB), Varanasi. I say that I
am fully conversant with the facts of the case and am competent and
authorized to swear the present Affidavit.

That, The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New
Delhi (hereinafter referred as The Hon'ble Tribunal) vide its order
dated 18.03.2026 has passed following orders-



↑

“.....2. Learned counsel for the applicant submits that neither the plantation has been done by the Respondent No. 2-University nor the EC has been levied by the UPPCB.

3. Issue notice to the respondents.

4. Ms. Sthavi Asthana, learned Counsel accepts notice on behalf of the Respondent No. 5-UPPCB and seeks four weeks' time to file the reply.

5. Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, learned Counsel accepts notice on behalf of the Respondent No. 3-State of UP, Respondent No. 7-DFO, Varanasi and Respondent No. 8-District Magistrate, Varanasi, and seeks four weeks' time to file the reply.

6. The Applicant is directed to serve the remaining respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

7. List on 07.07.2026.”

3. That in compliance with the order passed by the Hon'ble Tribunal, inspection for assessment of illegal trees felled on the campus of Banaras Hindu University, Varanasi was carried out by the Regional Office of UPPCB, Varanasi on 24.10.2025. Further, UPPCB sent a letter to the Divisional Forest Officer, Varanasi vide reference No. 579/ NGT OA No 928/2024/27, dated 18/06/2026 seeking specific information regarding assessment of EC for illegal trees felled within



A

the campus of Banaras Hindu University, Varanasi. A copy of letter dated 18.06.2026 is being annexed herewith as Annexure-R5/1.

4. That UPPCB sent a letter to the VC, BHU, Varanasi vide reference 588/NGT OA No 928/2024/27, dated 22/06/2026 seeking specific information regarding assessment of EC for illegal trees felled within the campus of Banaras Hindu University, Varanasi. A copy of letter dated 22.06.2026 is being annexed herewith as Annexure-R5/2.
5. That the relevant information was provided by the Forest Department, Varanasi vide letter no. 34/29-1, dated 02.07.2026 and BHU vide letter no. HU/2026-27/NGT/199, dated 29.06.2026. A copy of DFO letter dated 02.07.2026 and BHU letter dated 29.06.2026 is being annexed herewith as Annexure-R5/3 & R5/4.
6. That the Forest Department provided information about 33 illegal trees felled within the campus of Banaras Hindu University, Varanasi.

7. That on the basis of the direction in the Hon'ble NGT's order dated March 21, 2025, passed in Pramod Tyagi vs. State of NCT of Delhi & Ors. in OA No. 335/2023 and the information provided by the Forest Department, Varanasi, report regarding assessment of environmental compensation is as follows:-

Assesment of Environment Compensation for illegal 33 trees cutting in BHU Campus




Environment Compensation = (Cost Factor x Trunk area of Tree x Species Factor x Condition Factor x Location Factor)-Royalty Value

Cost factor- Cost factor assessed by the forest Department as per annexure-1

Trunk Area- Trunk Area assessed by the forest Department as per annexure-1

Species Factor- Species factor taken as 0.7 as per table B.1


Condition Factor- Condition factor taken as 0.75 as per table B.2

Location Factor- Location factor taken as 0.85 as per table B.3


Royalty Value- Royalty Value assessed by the forest Department as per annexure-1

On the basis of above values, assessment of Environmental Compensation for illegal tree cutting in BHU Campus is as under:-

S. no.	Plant name	Cost Factor in Rs.	Trunk area of Tree in sq. cm.	Species Factor	Condition Factor	Location Factor	Royalty Value	Assesment Value of EC in Rs.
1	Mango	1052	4976.38	0.7	0.75	0.85	2796.8	2333389.673
2	Mango	1052	4585.61	0.7	0.75	0.85	2796.8	2149940.743
3	Mango	1052	6019.77	0.7	0.75	0.85	3818	2822193.125
4	Gold Mohar	1052	4585.61	0.7	0.75	0.85	5765.2	2146972.343
5	Gold Mohar	1052	2300.94	0.7	0.75	0.85	4253.38	1075934.408
6	Mahuwa	1052	6694.89	0.7	0.75	0.85	3830.45	3139119.135
7	Mahuwa	1052	4779.61	0.7	0.75	0.85	2805.92	2241005.893
8	Mango	1052	397.4	0.7	0.75	0.85	818.8	185742.617
9	Mango	1052	397.4	0.7	0.75	0.85	818.8	185742.617
10	Mang	1052	2374.	0.7	0.75	0.85	2254	1112523.



	o		62					232
11	Gold Mohar	1052	4415.62	0.7	0.75	0.85	5765.52	2067169.367
12	Katahal	1052	397.4	0.7	0.75	0.85	2741.23	183820.187
13	White Chandan	1052	4.906	0.7	0.75	0.85	475	1828.14623
14	White Chandan	1052	4.906	0.7	0.75	0.85	475	1828.14623
15	White Chandan	1052	176.62	0.7	0.75	0.85	1117	81798.1421
16	White Chandan	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	14227	437210.3171
17	White Chandan	1052	4.906	0.7	0.75	0.85	475	1828.14623
18	White Chandan	1052	4.906	0.7	0.75	0.85	475	1828.14623
19	White Chandan	1052	176.62	0.7	0.75	0.85	1117	81798.1421
20	Sagau n	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
21	Sagau n	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
22	Sagau n	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
23	Sagau n	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
24	Sagau n	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
25	Sagau n	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
26	Sagau n	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
27	Sagau n	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971



✍

28	Sagau n	1052	961.6 2	0.7	0.75	0.85	3208. 42	448228.8 971
29	Sagau n	1052	961.6 2	0.7	0.75	0.85	3208. 42	448228.8 971
30	Sagau n	1052	961.6 2	0.7	0.75	0.85	3208. 42	448228.8 971
31	Sagau n	1052	961.6 2	0.7	0.75	0.85	3208. 42	448228.8 971
32	Sagau n	1052	961.6 2	0.7	0.75	0.85	3208. 42	448228.8 971
33	Sagau n	1052	961.6 2	0.7	0.75	0.85	3208. 42	448228.8 971
Total								26526877 .08

In words (Two crore sixty five lac twenty six thousand eight hundred seventy-seven rupees and eight paise only)

8. That the Regional Office has forwarded assessment report for perusal and for further necessary action to impose the environmental compensation in accordance with the rules vide letter no. 669/NGT EA No. 15/2026/26-27, dated 03.07.2026. Further steps for imposition of EC are in process. A copy of letter dated 03.07.2026 is being annexed herewith as Annexure-R5/5.

That the above response of Respondent No.-5, Uttar Pradesh Pollution Control Board, is submitted before this Hon'ble Tribunal for its kind perusal and necessary consideration.





DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Varanasi on this 6th day of July, 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Sworn Before Me & Solemnly
Affirm Signature and Contents
Verified Today


S. PATHAK Advocate
NOTARY GOVT. OF INDIA
Varanasi
Reg. No. 13472/2017


DEPONENT



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं० / Ref.No. 579 / 1478A No. 928/2024/26-27 दिनांक / Date. 10/06/2026

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग,
वाराणसी।

विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 928/2024 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.07.2025 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदया,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 928/2024 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, उक्त ओ०ए० के अन्तर्गत मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आपके विभाग द्वारा पत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से प्रेषित आख्या के अनुसार कुल 26 वृक्षों का अवैध पातन पाया गया है तथा अद्यतन में मा० एन०जी०टी० द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु जारी निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 24.10.2025 को किये गये सर्वेक्षण में उक्त के अतिरिक्त 07 चन्दन के पेड़ों का पातन पाया गया है।

अद्यतन में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उक्त वाद से सम्बंधित मा० एन०जी०टी०उ में राज्य बोर्ड की अधिवक्ता सुश्री स्थवी अस्थाना से विचार-विमर्श किया गया। उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि वृक्षों के पातन के सम्बंध में मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०सं० 335/2023 प्रमोद त्यागी बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21 मार्च, 2025 के आधार पर अवैध पातन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन किया जाना है। तत्कम में संदर्भित मा० एन०जी०टी० के आदेश का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि उक्त आदेश के पैरा-89 के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन किया जाना है तथा पैरा 98 के अनुसार उक्त आदेश के अनुपालन में राज्य स्तर पर कार्यवाही हेतु आदेश जारी किये गये। उक्त आदेश के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ऑकलित किये जाने हेतु अवैध पातन किये गये वृक्षों के Trunk area, Cost Factor (Sapling Cost + Maintenance Cost) & Royalty Value के फैक्टर की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है तथा उक्त सूचनाएं आपके विभाग से सम्बंधित है, उक्त सूचनाओं के सम्बंध में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ऑकलन हेतु उक्त फैक्टर के सम्बंध में जारी आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् हैं—

Factors	Description
Trunk area	The cross-section area of the tree trunk measured at breast height. Girth at Breast Height (GBH) (in cm) = $27\pi r$ ($2\pi r$) Diameter (D) = $2r = \text{GBH}/\text{Pie}$ Trunk Area (in cm ²) = $7r(D/2)^2 = 7rD^2/4$ ($\pi D^2/4$) Where, r is the radius of the tree at GBH in cm. Note: If the GBH of the tree is not reported, then the average GBH of a mature tree of the respective species shall be taken in to consideration for calculation of Trunk Area of the tree. In case the GBH/diameter is not available then the average GBH/diameter of the respective species shall be taken in to account.
Cost Factor (Sapling Cost + Maintenance Cost)	The full cost (estimated per unit of the cross-sectional area of the trunk, i.e., per square centimeter) of a newly planted sapling that is at least 1.80 meters tall. Its derivation has two components: the nursery gate price and the planting cost (transportation, planting,

	<p>materials, manure, fertilizers, immediate care, and management costs, but not aftercare).</p> <p>Thus, Cost factor is sum of sapling cost and Cost of Transportation/planting etc.</p> <p>Note: Department of Forest as well as Department of Horticulture is used to notify the sapling price from time to time. Such value of a sapling shall be taken in to consideration. If, in any case, there is no notified price, then the market price of such sapling in that area where the tree is felt shall be taken in to consideration. In General cost of transportation/planting the sapling shall be taken as Rs100/-</p> <p>For example, a sapling of mango tree costs Rs 80/- so Cost Factor shall be sum of Cost of sapling Rs 80/- and planting cost Rs. 100/- i.e. Rs 180/-</p>
Royalty Value	<p>For every tree which is felt, the Government has levied an amount as a royalty. The amount of such Royalty is proposed to be deducted and the final value so obtained will be termed as Environment Compensation.</p> <p>This is to clarify that the respective departments also obtained penalty for illegal felling of trees, which is higher than the Royalty value, but in the environment compensation regime only the Royalty value will be considered.</p>

अतः महोदया से अनुरोध है कि मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के ऑकलन हेतु उपरोक्त सूचनाओं को प्रेषित किये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।

भवदीय,

(रोहित सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

पू०सं० एवं दिनांक—उपरोक्त।

प्रतिलिपि:—1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6) उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. श्री सुशील कुमार, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी में सम्पर्क कर उपरोक्त सूचनाएँ यथाशीघ्र प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ऑकलन किया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं० / Ref.No. 588 / NCT 6A No. 928/2024/27 दिनांक / Date..... 22/06/2026

सेवा में,

कुलपति महोदय,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 928/2024 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.07.2025 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 928/2024 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, उक्त ओ०ए० के अन्तर्गत मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में विगत प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी के पत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से प्रेषित आख्या के अनुसार कुल 26 वृक्षों का अवैध पातन सूचित किया गया है तथा अद्यतन में मा० एन०जी०टी० द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु जारी आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 24.10.2025 को किये गये सर्वेक्षण में उक्त के अतिरिक्त 07 चन्दन के पेड़ों का पातन पाया गया है।

अद्यतन में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उक्त वाद से सम्बंधित मा० एन०जी०टी० में राज्य बोर्ड की अधिवक्ता सुश्री स्थवी अस्थाना से विचार-विमर्श किया गया। उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि वृक्षों के पातन के सम्बंध में मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०सं० 335/2023 प्रमोद त्यागी बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21 मार्च, 2025 के आधार पर अवैध पातन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन किया जाना है। तत्क्रम में संदर्भित मा० एन०जी०टी० के आदेश के अध्ययन के पश्चात् पाया गया कि उक्त आदेश के पैरा-89 के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन किया जाना है तथा पैरा 98 के अनुसार उक्त आदेश के अनुपालन में राज्य स्तर पर कार्यवाही हेतु आदेश जारी किये गये। उक्त आदेश के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ऑकलित किये जाने हेतु अवैध पातन किये गये वृक्षों के Trunk area, Cost Factor (Sapling Cost + Maintenance Cost) & Royalty Value के फ़ैक्टर से सम्बंधित सूचना क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं हैं, जिनके सम्बंध में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् हैं—

Factors	Description
Trunk area	The cross-section area of the tree trunk measured at breast height. Girth at Breast Height (GBH) (in cm) = $27rr$ ($2\pi r$) Diameter (D) = $2r = GBH/Pie$ Trunk Area (in cm ²) = $7r(D/2)^2 = 7rD^2/4$ ($\pi D^2/4$) Where, r is the radius of the tree at GBH in cm. Note: If the GBH of the tree is not reported, then the average GBH of a mature tree of the respective species shall be taken in to consideration for calculation of Trunk Area of the tree. In case the GBH/diameter is not available then the average GBH/diameter of the respective species shall be taken in to account.
Cost Factor (Sapling Cost + Maintenance Cost)	The full cost (estimated per unit of the cross-sectional area of the trunk, i.e., per square centimeter) of a newly planted sapling that is at least 1.80 meters tall. Its derivation has two components: the nursery gate price and the planting cost (transportation, planting, materials, manure, fertilizers, immediate care, and management costs, but

	<p>not aftercare).</p> <p>Thus, Cost factor is sum of sapling cost and Cost of Transportation/planting etc.</p> <p>Note: Department of Forest as well as Department of Horticulture is used to notify the sapling price from time to time. Such value of a sapling shall be taken in to consideration. If, in any case, there is no notified price, then the market price of such sapling in that area where the tree is felt shall be taken in to consideration. In General cost of transportation/planting the sapling shall be taken as Rs100/-</p> <p>For example, a sapling of mango tree costs Rs 80/- so Cost Factor shall be sum of Cost of sapling Rs 80/- and planting cost Rs. 100/- i.e. Rs 180/-</p>
Royalty Value	<p>For every tree which is felt, the Government has levied an amount as a royalty. The amount of such Royalty is proposed to be deducted and the final value so obtained will be termed as Environment Compensation.</p> <p>This is to clarify that the respective departments also obtained penalty for illegal felling of trees, which is higher than the Royalty value, but in the environment compensation regime only the Royalty value will be considered.</p>

उक्त सूचनाए प्राप्त किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 579/एनजीटी ओए नं० 928/2024/26-27, दिनांक 18.06.2026 द्वारा जिला वन अधिकारी, वाराणसी को पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु वर्तमान तक उनके द्वारा उक्त सूचनाए प्रेषित नहीं की गई है।

उपरोक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि आपके संस्थान के अन्तर्गत सम्बंधित विभागों द्वारा उक्त वाद के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही, प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय की आख्या (छायाप्रति संलग्न), क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या (छायाप्रति संलग्न) को दृष्टिगत रखते हुए मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के ऑकलन हेतु इस कार्यालय को सूचना प्रेषित किये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय
 ROHIT SINGH
 (रोहित सिंह)
 क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक—उपरोक्त।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचना एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6) उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. श्री सुशील कुमार, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि कुलपति महोदय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्पर्क कर उपरोक्त सूचनाए यथाशीघ्र प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ऑकलन किया जाना सुनिश्चित करें।

ROHIT SINGH
 क्षेत्रीय अधिकारी

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 928/2024 सौरम तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.07.2025 के अनुपालन में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के परिसर में पातन किये गये वृक्षों के ऑकलन के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त के संदर्भ में बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के कार्मिकों द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के परिसर में पातन किये गये वृक्षों के ऑकलन के सम्बन्ध में दिनांक 24.10.2025 अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री प्रतीक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण में पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त वाद में दिनांक 07.07.2025 को निम्नलिखित मुख्य आदेश पारित किये गये है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है-
 ".....20. Thus, in view of the above analysis we are of the view that not only the Respondent No-2-University should plant atleast 20 trees against each tree which has been found to be illegal cut but must also pay the environmental compensation for the illegally felling of trees which will be assessed by the UPPCB after giving an opportunity of hearing to the Respondent No.2 within three months. UPPCB is directed to assess and recover the environmental compensation from Respondent No.2 by complying with the principles of natural justice....."
 2. यह कि कार्यालय द्वारा दिनांक 24.10.2025 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा 07 चन्दन के पेड़ों के पातन के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए वृक्षों के अवशेष अंश (जड़ आदि) को दिखाया गया (फोटोग्राफ्स संलग्न हैं)। निरीक्षण के दौरान अन्य पौधों के पातन के सम्बन्ध में पातन स्थल ज्ञात नहीं हो पाया। उपस्थित पातिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कटे हुये पेड़ों के बदले शीशम, सागौन, अमरुद, कंजी आदि के लगभग 315 पौधे लगाये गये है।
 3. यह कि प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के पत्रांक 1841/29-1, दिनांक अक्टूबर 29, 2024 (छायाप्रति संलग्न) की आख्यानुसार "मा० न्यायालय के आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में 26 वृक्षों का अवैध पातन पाया गया एवं 07 चन्दन वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में वन विभाग को कोई सूचना नहीं दी गयी।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी.-36 अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)

दूरभाष/फैक्स-0542 2585574

ई-मेल dfovrns@yahoo.in

पत्रांक:- 34 /29-1, दिनांक, वाराणसी, जुलाई , 02 2026 ।
सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल ई0ए0नं0-15/2026 इन ओरिजिनल एप्लिकेश नम्बर-928/2024 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-07.07.2025 एवं दिनांक-18.03.2026 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ- आपका पत्रांक-579/एन.जी.टी./ओ.ए.नं0-928/2024/26-27, दिनांक-18.06.2026 ।
महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल ई0ए0नं0-15/2026 इन ओरिजिनल एप्लिकेश नम्बर-928/2024 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-07.07.2025 एवं दिनांक-18.03.2026 का अनुपालन सूचना मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में अवैध रूप से काटे गये 26 वृक्षों एवं 07 चन्दन वृक्षों का अवैध पातन के सम्बन्ध में मा0 एन.जी.टी. न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक-07.07.2025 पैरा संख्या-20 में अवैध रूप से काटे गये वृक्षों का Environmental Compensation for the illegal felling of trees which will be assessed by the UPPCB after giving and opportunity of hearing to the respondent no.2 within three months. UPPCB is directed to assess and recover the environmental compensation from Respondent no.2 by complying with the principles of natural justice.

क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा मा0 एन.जी.टी. न्यायालय के आदेश दिनांक-07.07.2025 एवं 18.03.2026 के अनुपालन हेतु बी.एच.यू. परिसर में अवैध रूप से काटे गये वृक्षों की क्षतिपूर्ति ऑकलित किये जाने हेतु अवैध पातन किये गये वृक्षों के Trunk Area, Cost Factor (Sapling Cost+Maintenance Cost) & Royalty Value के फैक्टर की सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उपरोक्त सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, वाराणसी को इस कार्यालय के पत्रांक-5325/29-1, दिनांक-22.06.2026 लिखा गया था। क्षेत्रीय वन अधिकारी, वाराणसी के द्वारा अपने पत्रांक-420/29-1, दिनांक-30.06.2026 द्वारा उपरोक्त सूचना उपलब्ध कराया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी, वाराणसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एतद संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से स्वयं परीक्षण सुनिश्चित करते हुए मा0 न्यायालय में दाखिल करने का कष्ट करें।

मा0 एन.जी.टी. न्यायालय, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक-5396/29-1, दिनांक-27.06.2026 द्वारा टीम का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में रोपित पौधों की सत्यापन रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र संख्या-33/29-1, दिनांक-02.07.2026 द्वारा श्री भँवर पाल सिंह जाडौन, अधिवक्ता, मा0एन.जी.टी. नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। रिपोर्ट की प्रति एतद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

Ndk
03/07/26
प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

पत्रांक:- 34 /समदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी।

Ndk
03/07/26
प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, वाराणसी।

पत्रांक:-
सेवा में,

420 /29-1,

दिनांक, वाराणसी, जून , 30 2026 ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।


विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल ई0ए0नं0-15/2026 इन ओरिजिनल एप्लिकेश नम्बर-928/2024 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक- 07.07.2025 एवं दिनांक-18.03.2026 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक-5325/29-1, दिनांक-22.06.2026 ।
महोदया,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल ई0ए0नं0-15/2026 इन ओरिजिनल एप्लिकेश नम्बर-928/2024 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-07.07.2025 एवं दिनांक-18.03.2026 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के पत्र संख्या-579, दिनांक- 18.06.2026 में उल्लिखित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में अवैध रूप से काटे गये 26 वृक्षों एवं 07 चन्दन वृक्षों के सम्बन्ध में Trunk Area, Cost Factor (Cost Value-Sapling + Plantation) & Royalty Value के फैक्टर की सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त सूचना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी से वार्ता की गयी। दिनांक-28.06.2026 को क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी प्रभागीय कार्यालय में आये तथा अवैध पातित वृक्षों के सम्बन्ध में उपरोक्त सूचना तैयार किये जाने बावत बताये गये फार्मूला के आधार पर आगणन किया गया। पातन वृक्षों का आगणन से सम्बन्धित बिन्दुवार रिपोर्ट संस्तुति सहित आपके सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

C. C.
Mh
21/7/26

भवदीय,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
वाराणसी रेंज।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, वाराणसी।

पत्रांक:- 420 /29-1, दिनांक, वाराणसी, जून , 30 2026 ।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल ई0ए0नं0-15/2026 इन ओरिजिनल एप्लिकेश
नम्बर-928/2024 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-07.07.2025 एवं
दिनांक-18.03.2026 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
वाराणसी के पत्र दिनांक-18.06.2026 द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार सूचना क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड द्वारा बताये गये फार्मूला एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया गया है जो निम्नवत है-

Trunk Area- Girth at Breast Height (GBH), Diameter(D), Trunk Area (in cm) and Royalty

क्र.सं.	प्रजाति	GBH	व्यास वर्ग	आयतन (घन मी0)	Royalty दर	धनराशि	अभियुक्ति
1	आम	2.50	70-80	3.040	920.00	2796.80	1.मौके पर पाये गये जड़ एवं प्रकाष्ठ के आवक्ष गोलाई(जी.बी.एच.) के आधार पर विभिन्न पैरामीटर के आगणन किये गये। 2.कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, 30प्र0 लखनऊ के पत्रांक-401/16-2 रॉयल्टी दिनांक-18.03.2026 से रॉयल्टी ली गयी है।
2	आम	2.40	70-80	3.040	920.00	2796.80	
3	आम	2.75	80-90	4.150	920.00	3818.00	
4	गोल्ड मोहर	2.40	70-80	2.322	2483.00	5765.20	
5	गोल्ड मोहर	1.70	50-60	1.713	2483.00	4253.38	
6	महुआ	2.90	90 से उपर	4.150	923.00	3830.45	
7	महुआ	2.45	70-80	3.040	923.00	2805.92	
योग:-						26066.55	

क्र.सं.	प्रजाति	जड़ बूट (गो0मी0)	जड़ गोलाई का व्यास वर्ग	एक व्यास दर्जा कम करते हुए आवक्ष व्यास वर्ग	आयतन (घ0मी0)	दर प्रति (घन मी0)	धनराशि	अभियुक्त
1	आम	1.80	50-60	40-50	0.890	920.00	818.80	1.मौके स्थल पर प्रकाष्ठ नहीं पायी गयी। इस प्रकार उक्त वृक्षों की बूट गोलाई के आधार पर विभिन्न पैरामीटर का आगणन किया गया। 2.कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, 30प्र0 लखनऊ के पत्रांक-401/16-2 रॉयल्टी दिनांक-18.03.2026 से रॉयल्टी ली गयी है।
2	आम	1.82	50-60	40-50	0.890	920.00	818.80	
3	आम	2.05	60-70	50-60	2.450	920.00	2254.00	
4	गो. मोहर	2.81	80-90	70-80	2.322	2483.00	5765.52	
5	कटहल	1.85	50-60	40-50	1.104	2483.00	2741.23	
योग:-							12398.35	

क्र.सं.	प्रजाति	जड़ बूट (गो0मी0)	जड़ गोलाई का व्यास वर्ग	एक व्यास दर्जा कम करते हुए आवक्ष व्यास वर्ग	व्यास वर्ग के आधार पर दर धनराशि	अभियुक्त
1	सफेद चन्दन	0.55	10-20	0-10	475.00	1. मौके स्थल पर प्रकाष्ठ नहीं पायी गयी। इस प्रकार उक्त वृक्षों की बूट गोलाई के आधार पर विभिन्न पैरामीटर का आगणन किया गया। 2. श्रीमान वन संरक्षक महोदय, वाराणसी वृत्त, वाराणसी के कार्यालय पत्रांक-682/22-1, दिनांक- 06.09.2024 द्वारा स्थायी आदेश से लिया गया।
2	सफेद चन्दन	0.24	0-20	0-10	475.00	
3	सफेद चन्दन	0.86	20-30	10-20	1117.00	
4	सफेद चन्दन	1.30	40-50	30-40	14227.00	
5	सफेद चन्दन	0.50	10-20	0-10	475.00	
6	सफेद चन्दन	0.59	10-20	0-10	475.00	
7	सफेद चन्दन	0.72	20-30	10-20	1117.00	
योग:-					18361.00	

नोट:- अवैध पातन किये गये कुल 33 वृक्षों में से 19 वृक्षों का विवरण उपरोक्तानुसार है तथा विगत में जांच के दौरान कार्यालय आचार्य प्रभारी उद्यान इकाई बी.एच.यू. वाराणसी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार कुल 149 वृक्ष का पातन किया गया है जिसके सापेक्ष मात्र 135 वृक्षों का पातन अनुमति वन विभाग से प्राप्त किया गया है। अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर 14 सागौन वृक्षों का अवैध पातन किया गया है। जिसमें से तथा शेष 14 वृक्षों का जड़ बूट एवं अवशेष मौके पर नहीं मिलने के कारण जी.बी.एच. ज्ञात नहीं की जा सकी। तदक्रम में निर्धारित प्राविधान "If the GBH of the tree is not reported, then the average GBH of a mature tree of the respective species shall be taken in to consideration for calculation of Trunk Area of the tree. In case the GBH/diameter is not available then the average GBH/diameter of the respective species shall be taken in to account" के आधार पर अवैध रूप से पातन किये गये सागौन के वृक्षों के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत है

क्र.सं.	प्रजाति	समुपयोज्य व्यास वर्ग	आयतन	रॉयल्टी दर	धनराशि	अभियुक्ति
1	सागौन	30-40	0.639	5021.00	3208.42	1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-92/22-20, दिनांक-22.09.2020 के द्वारा समुपयोज्य व्यास दर्जा के अनुसार आगणन किया गया। 2. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-401/16-2 रॉयल्टी दिनांक- 18.03.2026 से रॉयल्टी ली गयी है।
2	सागौन	30-40	0.639	5021.00	3208.42	
3	सागौन	30-40	0.639	5021.00	3208.42	
4	सागौन	30-40	0.639	5021.00	3208.42	
5	सागौन	30-40	0.639	5021.00	3208.42	
6	सागौन	30-40	0.639	5021.00	3208.42	
7	सागौन	30-40	0.639	5021.00	3208.42	
8	सागौन	30-40	0.639	5021.00	3208.42	
9	सागौन	30-40	0.639	5021.00	3208.42	
10	सागौन	30-40	0.639	5021.00	3208.42	
11	सागौन	30-40	0.639	5021.00	3208.42	
12	सागौन	30-40	0.639	5021.00	3208.42	
13	सागौन	30-40	0.639	5021.00	3208.42	
14	सागौन	30-40	0.639	5021.00	3208.42	
योग:-					44917.88	

Trunk Area (in cm)

क्र.सं.	प्रजाति	आवक्ष गोलाई	व्यास वर्ग	डायामीटर से.मी.	Trunk Area (in cm) = $\frac{3.14 (D)^2}{4}$	
1	आम	2.50	70-80	79.62	$\frac{3.14 \times (79.62)^2}{4}$	= 4976.38 cm ²
2	आम	2.40	70-80	76.43	$\frac{3.14 \times (76.43)^2}{4}$	= 4585.61 cm ²
3	आम	2.75	80-90	87.57	$\frac{3.14 \times (87.57)^2}{4}$	= 6019.77 cm ²
4	गोल्ड मोहर	2.40	70-80	76.43	$\frac{3.14 \times (76.43)^2}{4}$	= 4585.61 cm ²
5	गोल्ड मोहर	1.70	50-60	54.14	$\frac{3.14 \times (54.14)^2}{4}$	= 2300.94 cm ²
6	महुआ	2.90	90 से उपर	92.35	$\frac{3.14 \times (92.35)^2}{4}$	= 6694.89 cm ²
7	महुआ	2.45	70-80	78.03	$\frac{3.14 \times (78.03)^2}{4}$	= 4779.61 cm ²

क्र.सं.	प्रजाति	जड़ बूट (गो0मी0)	जड़ गोलाई का व्यास वर्ग	एक व्यास दर्जा कम करते हुए आवक्ष व्यास वर्ग	(डायामीटर) से.मी.	Trunk Area (in cm) = $\frac{3.14 (D)^2}{4}$	
1	आम	1.80	50-60	40-50	45	$\frac{3.14 \times (45)^2}{4}$	= 397.40 cm ²
2	आम	1.82	50-60	40-50	45	$\frac{3.14 \times (45)^2}{4}$	= 397.40 cm ²
3	आम	2.05	60-70	50-60	55	$\frac{3.14 \times (55)^2}{4}$	= 2374.62 cm ²
4	गोल्ड मोहर	2.81	80-90	70-80	75	$\frac{3.14 \times (75)^2}{4}$	= 4415.62 cm ²
5	कटहल	1.85	50-60	40-50	45	$\frac{3.14 \times (45)^2}{4}$	= 397.40 cm ²

क्र.सं.	प्रजाति	जड़ बूट (गो0मी0)	जड़ गोलाई का व्यास वर्ग	एक व्यास दर्जा कम करते हुए आवक्ष व्यास वर्ग	(डायामीटर) से.मी.	Trunk Area (in cm) $= \frac{3.14 (D)^2}{4}$	
1	सफेद चन्दन	0.55	10-20	0-10	5	$\frac{3.14 \times (5)^2}{4}$	= 4.906 cm ²
2	सफेद चन्दन	0.24	0-20	0-10	5	$\frac{3.14 \times (5)^2}{4}$	= 4.906 cm ²
3	सफेद चन्दन	0.86	20-30	10-20	15	$\frac{3.14 \times (15)^2}{4}$	= 176.62 cm ²
4	सफेद चन्दन	1.30	40-50	30-40	35	$\frac{3.14 \times (35)^2}{4}$	= 961.62 cm ²
5	सफेद चन्दन	0.50	10-20	0-10	5	$\frac{3.14 \times (5)^2}{4}$	= 4.906 cm ²
6	सफेद चन्दन	0.59	10-20	0-10	5	$\frac{3.14 \times (5)^2}{4}$	= 4.906 cm ²
7	सफेद चन्दन	0.72	20-30	10-20	15	$\frac{3.14 \times (15)^2}{4}$	= 176.62 cm ²

क्र.सं.	प्रजाति	समुपयोज्य व्यास वर्ग	डायामीटर (से.मी. में)	Trunk Area (in cm) $= \frac{3.14 (D)^2}{4}$	
1	सागौन	30-40	35	$\frac{3.14 \times (35)^2}{4}$	= 961.62 cm ²
2	सागौन	30-40	35	$\frac{3.14 \times (35)^2}{4}$	= 961.62 cm ²
3	सागौन	30-40	35	$\frac{3.14 \times (35)^2}{4}$	= 961.62 cm ²
4	सागौन	30-40	35	$\frac{3.14 \times (35)^2}{4}$	= 961.62 cm ²
5	सागौन	30-40	35	$\frac{3.14 \times (35)^2}{4}$	= 961.62 cm ²
6	सागौन	30-40	35	$\frac{3.14 \times (35)^2}{4}$	= 961.62 cm ²
7	सागौन	30-40	35	$\frac{3.14 \times (35)^2}{4}$	= 961.62 cm ²
8	सागौन	30-40	35	$\frac{3.14 \times (35)^2}{4}$	= 961.62 cm ²
9	सागौन	30-40	35	$\frac{3.14 \times (35)^2}{4}$	= 961.62 cm ²
10	सागौन	30-40	35	$\frac{3.14 \times (35)^2}{4}$	= 961.62 cm ²
11	सागौन	30-40	35	$\frac{3.14 \times (35)^2}{4}$	= 961.62 cm ²
12	सागौन	30-40	35	$\frac{3.14 \times (35)^2}{4}$	= 961.62 cm ²
13	सागौन	30-40	35	$\frac{3.14 \times (35)^2}{4}$	= 961.62 cm ²
14	सागौन	30-40	35	$\frac{3.14 \times (35)^2}{4}$	= 961.62 cm ²



Cost Value-Sampling + Plantation

उपरोक्त अवैध रूप से पातित 33 वृक्षों के वृक्षारोपण में निम्न प्रकार व्यय होगा।

मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० कैम्पा लखनऊ के पत्रांक-618/2-37-2, दिनांक-16.02.2026 द्वारा जारी सिलिंग दर के आधार पर मार्ग के किनारे पंक्ति वृक्षारोपण में तारबाड़ फेंसिंग आदि पर प्रति पौध वृक्षारोपण पर व्यय धनराशि आगणित किया गया है।

1. **अंतिम मृदा कार्य-** सर्वेक्षण व समीकन, स्थल सफाई, मृदा परीक्षण, गड्ढा खूदान, तारबाड़ हेतु सामग्री आदि कार्य पर व्यय लागत- प्रति गड्ढा की दर - 629.00 रुपये
2. **वृक्षारोपण कार्य-** गड्ढा भरण, गड्ढों में कीटनाशक मिलाना, गड्ढों में गोबर खाद का प्रयोग, पौध मुल्य, तारबाड़ फेंसिंग, पौधा रोपण, निराई-गुड़ाई, सिंचाई, कीटनाशक, वृक्षारोपण बोर्ड, सुरक्षा श्रमिक आदि कार्य पर व्यय लागत- प्रति पौध की दर- 423.00 रुपये
3. उपरोक्तानुसार कॉस्ट वैल्यु प्रति पौध(629+423)= ₹0 1052.00(कुल 33 वृक्षों का कास्ट वैल्यु= 34716.00)



प्रभारी लेखा,

वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

संक्र-1

Timbers Volume Factor- for Plan Regeon:-

	0-10	10-20	30-40	40-50	50-60	70-80	80-90	90 & UP	
बसुल	0.002	0.017	0.068	0.256	-	-	-	-	
खोकाट खैर सेन्द्र जिग्ना	-	-	0.255	1.104	1.713	2.322	-	-	
सिरस अस्ता. रहेडा सेन	-	-	0.212	0.716	1.445	2.588	3.779	5.834	
घोरी	-	-	0.255	0.738	1.455	2.587	-	-	
सेनल	-	0.140	0.450	0.935	1.595	2.513	3.739	5.208	
आल शीखन (नहर)	-	-	0.140	0.460	0.890	1.450	2.190	3.040	
कपूर पिलबिल. बीरंग	-	-	0.227	0.722	1.288	1.883	2.549	3.483	
जिग्ना	-	-	0.229	0.807	1.65	2.72	4.029	-	
खतर घोंसे. मुटेल. कच्ची	-	-	0.170	0.382	1.085	1.797	2.743	3.684	
जान	-	-	0.255	0.58	1.11	1.841	2.789	3.596	
पाकड़. नीम. दीपल. बर्जुन. इमली	-	0.016	0.183	0.531	1.06	1.77	2.661	3.732	
मुलर. बरगद. महुवा. कटसागीन	-	-	0.255	0.595	1.104	1.713	2.322	-	
जंगल खलेबी सुगनल. प्रोरापिस.	-	-	-	-	-	-	-	-	
ठाक. खनल. ठार. लसोडा. लोसिया	-	-	-	-	-	-	-	-	
कचनार. गोल्डमोहर	-	-	0.368	0.934	1.826	3.03	4.559	6.357	
साल- I	-	-	0.255	0.735	1.572	2.662	4.332	5.752	
II/III	-	-	0.213	0.666	1.459	2.478	3.822	5.366	
III	-	-	0.170	0.595	1.345	2.294	3.511	4.970	
III/IV	-	-	0.156	0.538	1.274	2.195	3.327	4.673	
	-	-	0.142	0.481	1.202	2.085	3.143	4.375	
	Dry	Dry	• दुठ फूसो का आयतन शुन्य होगा						शर
S.		3/4						सूबा	
F.		1/2						1	
U.		1/4						1/2	
								3/8	

यूकेलिप्टस के आयतन गुणक (घ0मी0 / बक्कल सहित)

व्यास	सापान्य	शियालिक बिजागर	अवधि	गुणता श्रेणी के आधार पर			पूरा की ऊँचाई के अनुसार गुणता श्रेणी (मी0)				
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय		
0-5	0.0000	0.002	0.000								
5-10	0.0110	0.019	0.012	0.016	0.011	0.007	0.003	13.6&UP	10.08-13.6	8.0-10.8	
10-15	0.0530	0.082	0.057	0.078	0.064	0.050	0.035	18.3	15.0-18.3	11.7-15.0	8.0-10.8
20-25	0.2310	0.333	0.247	0.188	0.160	0.130	0.100	21.9	18.3-21.9	14.7-18.3	11.7-15.0
25-30	0.3680	0.531	0.392	0.185	0.312	0.258	0.204	25.1	21.2-25.1	17.3-21.20	14.7-18.3
30-35	0.5360	0.776	0.570	0.185	0.520	0.436	0.352	27.7	23.6-27.7	19.5-23.6	17.3-21.20
40-45	0.9670	1.322	1.025	0.185	0.972	0.671	0.550	29.9	25.7-29.9	21.5-25.7	19.5-23.6
45-50	1.2299	1.741	1.308	1.776	1.119	0.963	0.860	31.5	27.4-31.5	23.5-27.4	21.5-25.7
50-55	1.5242	2.146	1.620	1.713	1.516	1.320	1.123	33.0	29.0-33.0	25.0-29.0	23.5-27.4
60-65	2.2076	3.083	2.344	2.371	1.955	1.708	1.486	34.0	29.6-34.0	25.3-29.0	25.0-29.0
65-70	2.5966	3.614	2.756	2.381	2.457	2.157	1.887	35.1	30.7-35.1	26.3-30.7	25.3-29.0
70-75	3.0172	4.188	3.202	3.301	3.017	2.659	2.336	36.2	31.7-36.2	27.2-31.7	26.3-30.7
80-85	3.9529	5.462	4.192	4.188	3.635	3.213	2.834	37.1	32.6-37.1	28.1-32.6	27.2-31.7
85-90	4.4691	6.162	4.737	4.211	4.311	3.820	3.380	38.0	33.4-38.0	28.8-33.4	28.1-32.6
90 >	5.0148	6.904	5.316	4.309	5.045	4.480	3.974	38.8	34.1-38.8	29.5-34.1	28.8-33.4
				4.302	5.836	5.192	4.616	39.6	34.8-39.6	30.2-34.8	29.5-34.1
				7.427	6.685	5.957	5.306	40.3	35.5-40.3	30.8-35.5	30.2-34.8
				8.426	7.592	6.775	6.044	41.0	36.1-41.0	31.4-36.1	30.8-35.5
				9.488	8.557	7.646	6.831	41.6	36.7-41.6	31.9-36.7	31.4-36.1

नोट - इस्तिमूद श्रेणी में स्थित प्रथम के अनुसार शीमापुर हरदोई व शाहजहाँपुर राब के यूकेलिप्टस प्रजाति को पूरा के सापान्य श्रेणी का

(नोट) व (श्रीमपुर वम प्रथम के यूकेलिप्टस सामर्थिका श्रेणीकी पूरा के केन्द्रीय फेक्टर का प्रयोग किया जासोगा।

संलग्नक-2

ई-मेल

कार्यालय वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी

(वन भवन, एच0आई0जी0-33, अशोक बिहार कालोनी फेज-1 पहड़िया वाराणसी-221007)

E-Mail-cfvaranas12@yahoo.com, cfva-up@nic.in दूरभाष-0542-2585444


पत्रांक- 2731 / 22-1, दिनांक: वाराणसी: अप्रैल, 08, 2026

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

विषय:- वर्ष-2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश वन निगम को आवंटित वन उपज की रायल्टी का निर्धारण किया जाना।

वर्ष-2024-25 के लिये उत्तर प्रदेश वन निगम को आवंटित वन उपज की रायल्टी का निर्धारण के सम्बन्ध में दिनांक-11.03.2026 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक-401/16-3, रायल्टी दिनांक-18.03.2026 द्वारा प्राप्त हुआ है कि प्रति आपको इस निर्देश के साथ संलग्नकर प्रेषित की जा रही है कि कार्यवृत्त में जारी निर्देशों के क्रम में वर्ष-2024-25 की निर्धारित रायल्टी दरों के आधार पर वन निगम से रायल्टी की वसूली/समायोजन तत्काल करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी

RA
Dfo
8/8/2026

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्र संख्या- 401

/16-3, रायल्टी,

दिनांक, लखनऊ, मार्च 18 2026।

सेवा में,

- 1- मुख्य वन संरक्षक/निदेशक,
लखनऊ मण्डल, कानपुर मण्डल, आगरा मण्डल, गोरखपुर मण्डल, मीरजापुर मण्डल, मध्य क्षेत्र लखनऊ, रुहेलखण्ड क्षेत्र बरेली, बुन्देलखण्ड क्षेत्र झाँसी, पश्चिमी क्षेत्र मेरठ, दक्षिणी क्षेत्र प्रयागराज एवं पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर, वन्य जीव पूर्वी गोण्डा, वन्य जीव पश्चिमी कानपुर एवं दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी।
- 2- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झाँसी, मिर्जापुर, अलीगढ़, बस्ती, आजमगढ़, बरेली, सरयू, चित्रकूट घाम बांदा, मुसादाबाद, आगरा, सहारनपुर तथा देवीपाटन।

विषय:- वर्ष 2024-25 में उ०प्र० वन विभाग से उ०प्र० वन निगम को आवंटित वन उपज की रायल्टी दरों का निर्धारण किया जाना।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-374/16-3 (रायल्टी), दिनांक 28.02.2026।

महोदय

आपके अधीनस्थ क्षेत्रों/वृत्तों से वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश वन निगम को आवंटित वनोपज की रायल्टी दरों के निर्धारण हेतु दिनांक 11.03.2026 को आहूत बैठक में लिए गये निर्णयों का कार्यवृत्त संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। कृपया अपने अधीनस्थ प्रभागीय वनाधिकारियों को इसकी सूचना अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करें। वर्ष 2024-25 की निर्धारित रायल्टी दरों के आधार पर वन निगम से तदनुसार रायल्टी की वसूली/समायोजन तत्काल करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

RAC

1004

वसुधैव कुटुम्बकम्

2023-26

GG44
22-1
28/3/2026

भवदीय,

[Signature]

(बी० प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुश्रवण एवं कार्य योजना
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- 401 /16-3, रायल्टी, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- प्रबंध निदेशक, उ०प्र०, वन निगम, लखनऊ।
- 3- क्षेत्रीय प्रबंधक, उ०प्र० वन निगम, खीरी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ एवं मेरठ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

[Signature]
(बी० प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुश्रवण एवं कार्य योजना
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- 401 /16-3, रायल्टी, दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को कार्यवृत्त की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

[Signature]
(बी० प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुश्रवण एवं कार्य योजना
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश वन निगम को उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा आवंटित विभिन्न वनोपज की रायल्टी निर्धारण हेतु दिनांक 11.03.2026 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उ०प्र०, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तर प्रदेश वन निगम को वर्ष 2024-25 में निम्नानुसार आरक्षित वन क्षेत्र व सामाजिक वानिकी क्षेत्र से आवंटित वन उपज की रायल्टी निर्धारण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 374/16-3 (रायल्टी), दिनांक 28.02.2026 के माध्यम से दिनांक 11.03.2026 को बैठक आहूत की गयी :-

(क) आरक्षित वन क्षेत्र

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. अवध क्षेत्र | 7. विन्ध्य वृत्त |
| 2. बरेली क्षेत्र | 8. प्रयागराज वृत्त |
| 3. सरयू क्षेत्र | 9. वन्यजीव वृत्त, मेरठ
(काशी एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग) |
| 4. पूर्वी वृत्त, गोरखपुर | 10. मेरठ क्षेत्र, मेरठ |
| 5. दुधवा टाईगर रिजर्व | 11. मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद। |
| 6. बुन्देलखण्ड वृत्त | |

(ख) सामाजिक वानिकी क्षेत्र

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. सरयू क्षेत्र, फैजाबाद | 9. आगरा क्षेत्र |
| 2. अवध क्षेत्र, लखनऊ | 10. प्रयागराज वृत्त |
| 3. कानपुर क्षेत्र, कानपुर | 11. वाराणसी वृत्त |
| 4. दुधवा टाईगर रिजर्व | 12. पूर्वी वृत्त |
| 5. बरेली क्षेत्र | 13. आजमगढ़ वृत्त |
| 6. मुरादाबाद क्षेत्र | 14. विन्ध्य वृत्त/मीरजापुर |
| 7. मेरठ क्षेत्र | 15. सहारनपुर क्षेत्र |
| 8. चित्रकूट वृत्त, बाँदा। | 16. देवीपाटन वृत्त, गोण्डा |

- 1.0 बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है। (संलग्नक-1)
- 2.0 प्रकाश रायल्टी निर्धारण की पिछली बैठक दिनांक 04.03.2025 व दिनांक 19.03.2025 को आहूत हुई थी, जिसमें वर्ष 2023-24 में आवंटित वनोपज की रायल्टी दरों का निर्धारण किया गया था।

u l

Pr...

3.0 वर्ष 2023-24 की रायल्टी दरों का निर्धारण:-

शासनादेश संख्या-4888/14-4-83(7)76, दिनांक 20.09.83 तथा शासनादेश संख्या-2977/14-4-89 (7)76, दिनांक 31.10.89 में दिये गये सूत्र के अनुसार वर्ष 2023-24 की रायल्टी दरों के निर्धारण हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम ने अपने पत्रांक उ-6927/13-7(2)/रायल्टी जनरल दिनांक: 09.12.2025 द्वारा वर्ष 2022-23 तथा वर्ष 2023-24 में क्षेत्रवार एवं प्रजातिवार विक्रय मूल्य की दरों में हुए उतार चढ़ाव के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। इन आंकड़ों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा कार्यालय के पत्रांक- 284/16-3 (रायल्टी) दिनांक 08.01.2026 द्वारा समस्त सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षकों/वन संरक्षकों/क्षेत्रीय निदेशकों को भेजा गया।

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ के पत्रांक-6627/13-7(2)/रायल्टी जनरल, दिनांक 09.12.2025 द्वारा आम हरा प्रकाष्ठ एवं आम सूखा प्रकाष्ठ के विक्री के आंकड़ें उपलब्ध कराये गये। बैठक में उल्लिखित शासनादेशों में निहित प्रक्रिया के अनुसार ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों प्रकार की मूल्य वृद्धि की विवेचना करते हुए वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश वन निगम को विभिन्न वृत्तों/क्षेत्रों से आवंटित लाटों की रायल्टी दरों के निर्धारण पर विचार-विमर्श किया गया तथा तदोपरान्त बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों से वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश वन निगम को आवंटित लाटों की प्रजातिवार एवं जोनवार रायल्टी निर्धारण की कार्यवाही पर सहमति प्राप्त करते हुये सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2024-25 की रायल्टी दरों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया:-

M. S.

R. S.

4.2.2 सामाजिक वानिकी (पूर्वी जोन)

वन विभाग के क्षेत्र/वृत्त

वन प्रभाग

प्रयागराज क्षेत्र	-	प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी
वाराणसी वृत्त	-	वाराणसी, शाजीपुर, जीनपुर
पूर्वी वृत्त, गोरखपुर	-	गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सिदार्थनगर, पडरौना, महाराजगंज
आज़मगढ़ वृत्त,	-	आज़मगढ़, मऊ, बलिया
बिन्ध्य वृत्त	-	मीरजापुर, सोनभद्र (सा.या. भाग), सन्त रविदासनगर (भदोही)
झांसी वृत्त	-	झांसी, ललितपुर, उरई
चित्रकूट वृत्त बांदा	-	चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर एवं महोबा

क्र.सं.	प्रजाति	इकाई	वर्ष 2023-24 की निर्धारित रायल्टी दर (रु./इकाई)	वर्ष 2022-2023 के सापेक्ष वर्ष 2023-2024 में प्राप्त प्रतिशत मूल्य वृद्धि या कमी (संलग्नक-2)	वर्ष 2024-25 की निर्धारित रायल्टी दर (रु./इकाई)
1	सागौन	घ.मी.	4839	3.76	5021
2	शीशम	घ.मी.	7219	-10.08	6491
3	महुआ	घ.मी.	586	57.50	923
4	बबूल	घ.मी.	3407	-24.29	2579
5	जामुन	घ.मी.	4722	39.96	6609
6	कोकाट व अन्य	घ.मी.	2017	23.11	2483
7	नीम	घ.मी.	4946	21.93	6031
8	इमली	घ.मी.	7620	11.89	8526
9	पीपल	घ.मी.	3764	84.07	6928
10	प्रोसिपिस	घ.मी.	449	15.84	520
11	अर्जुन	घ.मी.	3631	26.67	4599
12	बकैन	घ.मी.	3018	26.22	3809
13	साल	घ.मी.	4504	-	4504
14	खैर	घ.मी.	12223	33.18	16279
15	आम	घ.मी.	1313	-29.93	920

नोट- साल के बाजार भाव के तुलनात्मक आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण पूर्व वर्षों में ऐसी परिस्थितियों में लिए गये निर्णय के अनुसार इस प्रजाति की वर्ष 2024-25 की रायल्टी विगत वर्ष की रायल्टी के समतुल्य रखे जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी
पत्रांक- /22-1, दिनांक: वाराणसी: सितम्बर, 06 2024
स्थाई आदेश

इस वृत्त के अधीन वाराणसी, गाजीपुर तथा जौनपुर वन प्रभागों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों एवं जलौनी लकड़ी की अनुसूचित दरों का पुनरीक्षण कर इस कार्यालय के स्थाई आदेश संख्या-1944/22-1, दिनांक-03.01.2019 द्वारा अनुसूचित दरों का निर्धारण वर्ष-2019 में किया गया था।

वर्तमान में प्रकाष्ठ व जलौनी लकड़ी के बाजार भाव में काफी वृद्धि होने के कारण वन उपज में संशोधन के दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय के पत्रांक-2560/22-1 दिनांक-24.06.2024 द्वारा वृत्त स्तरीय समिति का गठन करते हुए अनुसूचित दरों में पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु प्रमाणीय वनाधिकारियों/निदेशकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुसूचित दरों के आधार पर समिति की बैठक दिनांक-20.08.2024 को वृत्त कार्यालय वाराणसी में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के उपरान्त वृक्षों की अनुसूचित दरों का पुर्ननिर्धारण निम्नानुसार किया जा रहा है :-

प्रजाति का नाम	वन वन उपज की व्यासवार (सेमी० में) श्रेणी के आधार पर निर्धारित दर (रूपये में)							
	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से ऊपर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
साल/साखू	276	973	2773	12349	20791	34650	49895	63756
शीशम	264	789	3160	12344	19745	34225	50024	68454
सागौन	241	788	4354	13781	33848	62857	96704	120679
असना/तून	220	688	2061	9616	19305	30220	43956	65935
खैर	413	1374	6869	12363	21979	29998	32968	54945
कोकाट	76	228	1008	2016	3558	5036	7573	8814
यूकेलिटस	58	201	656	1135	1889	2645	3654	4144
जामुन	185	474	1449	2898	7241	11848	18430	25011
आम	185	474	1449	2898	7241	11848	18430	25011
महुआ	185	474	1449	2898	7241	11848	18430	25011
विजयसाल	185	474	1449	2898	7241	11848	18430	25011
सांभर	185	474	1449	2898	7241	11848	18430	25011
नीम	148	452	1385	2759	6932	11350	17670	24001
चन्दन	475	1117	3184	14227	26320	34557	37978	63295
अर्जुन	71	207	260	1931	3395	4831	7830	4859
इमली	75	215	269	1950	3420	4838	3880	8469

उपरोक्त दरें केवल हरे (खड़े, सूखे व उखड़े) साउण्ड वृक्षों के लिये हैं, योग्य तथा अयोग्य वृक्षों की दरें उपरोक्त दरों की क्रमशः 2/3 तथा 1/3 होगा। सूखे वृक्षों की दरें उपरोक्त दरों की 3/4 होगा।

मृदु प्रकाष्ठ के ईंधन का मूल्य दर-400/-रूपये प्रति कुन्तल तथा कठोर प्रकाष्ठ के ईंधन का मूल्य दर 575/-रूपये प्रति कुन्तल होगा। यह दरें तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डा० रवि कुमार सिंह)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी

संख्या- 682/11) समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, प्रबन्ध एवं अनुसंधान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. समस्त प्रमाणीय वनाधिकारी/निदेशक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

(डा० रवि कुमार सिंह)

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ।
2. समस्त वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ।

विषय- उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 के शारानादेश संख्या 24/81-5-2020-07-93 दिनांक 07 जनवरी, 2020।

महोदय

सका शारानादेश के प्रस्तर-2 में निम्नानुसार प्राविधानित किया गया है-

"प्रतिबिंद प्रजातियों के पुनः, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक उपरिहारा परिस्थितियों तथा- पुनः सूच्य गवा हो या सूच्य रहा हो या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये अतया पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्य के निष्पादन के लिए इसका निगलन किना जागा आवश्यक हो या समुपयोज्य व्यास प्राप्य कर लिया हो अथवा यदि उसकी फलदायी क्षमता सारभूत रूप से बनी हो गयी हो और ऐसे पुनः की निगलन करने के लिए सहाय प्राधिकारी से लिखित में अनुज्ञ प्राप्त कर ली गई हो, के सिवाय निगलन नहीं किये जायेंगे। समुपयोज्य व्यास के लिए प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान एवं कार्य बोधन, उत्तर प्रदेश जैसा और एवं उपेक्षित हो, समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकता है।"

उपरोक्त प्राविधानों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 22/- दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा 29 प्रजातियों का समुपयोज्य व्यास निर्धारित किया गया था।

उक्त निर्धारण के पश्चात निर्धारित मानकों के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्राप्त हुये कि निर्धारित किया गया समुपयोज्य व्यास बहुत अधिक है इसमें संशोधन की माँग की गयी। इसी क्रम में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश में उल्लिखित 29 प्रजातियों का समुपयोज्य व्यास (Exploitable diameter) पूर्व के आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है-

क्र०स०	प्रजाति का नाम	समुपयोज्य व्यास Diameter cm.
1	आम (देशी/तुकमी)	60
2	नीम	50
3	साल	90
4	महुआ	60
5	बीजारासाल	60
6	पीपल	120
7	बरगद	120
8	गूलर	100
9	पाकड	100
10	अजून	40
11	पलाश	50
12	बेल	50
13	चिरौजी	60
14	खिरनी	60
15	कैथा	60
16	इमली	100
17	जामून	40
18	असना	80

सि.ए. / मत्स्य अनु.

@

5000/30

22/9

संलग्न वनसंरक्षण वनाधिकारी
उत्तर प्रदेश वन विभाग वाराणसी
क्र.सं. 2020
पत्रांक सं. 334
दि. 25.9.2020

19	पू.गुम	80
20	शिला	60
21	भिलाया	50
22	रुन	60
23	सल्लड	50
24	हल्लड	80
25	ताकली / फरवाड	60
26	शो	30
27	खैर	40 ✓
28	शोणा	30
29	सागीन	30

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
उपरोक्त निर्धारित समुपयोज्य ध्यारा के विभिन्न आयामों, प्रमायों की 08 माह उपरान्त पुनः समीक्षा की जायेगी एवं आवश्यक होने पर संशोधित आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

(अजय कुमार)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अनुश्रवण एवं कार्य योजना
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- 92 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, और विभागाध्यक्ष उ०प्र०, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना, उ० प्र० लखनऊ।

(अजय कुमार)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अनुश्रवण एवं कार्य योजना
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- 92 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि- समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों/प्रभागीय निदेशकों को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अनुश्रवण एवं कार्य योजना
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को प्रेषित
एवं आ. फा. के प्रेषित:

- 1- उप प्र० उ० प्र०, वाराणसी।
- 2- प्रे० उ० प्र०, वाराणसी, वावरगु एवं मझी।

संलग्नक-4

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ
 पत्रांक- 618 /2-37-2 (सीलिंग दर) दिनांक, लखनऊ फरवरी: 16, 2028

कार्यालय आदेश

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 सपठित वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के स्वीकृत प्रस्तावों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विभिन्न मॉडल प्राक्कलनों में 10 वर्षों के रख-रखाव/अनुरक्षण दर के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र०, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय तथा निर्धारित किये गये विभिन्न मॉडल प्राक्कलनों हेतु अग्रिम मुबा कार्य, वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रख-रखाव/अनुरक्षण वर्तमान में प्रचलित श्रमिक दर रु० 237.00 प्रति मानव दिवस के आधार पर वर्षवार व्यय का प्रति हेक्टेयर सीलिंग दरें निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	विवरण	प्रति हे० पीघ संख्या	अग्रिम मुदा कार्य	वृक्षारोपण	(दर प्रति हे०) (धनराशि रुपये में)									
					प्रथम वर्ष अनुक्षण	द्वितीय वर्ष अनुक्षण	तृतीय वर्ष अनुक्षण	चतुर्थ वर्ष अनुक्षण	पंचम वर्ष अनुक्षण	षष्ठम वर्ष अनुक्षण	सप्तम वर्ष अनुक्षण	अष्टम वर्ष अनुक्षण	नवम वर्ष अनुक्षण	दशम वर्ष अनुक्षण
1	सामान्य भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	1000	44500	41700	24500	21923	22139	7709	9796	6955	6955	1548	1548	1548
2	ऊसर भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	2500	74800	69500	27600	26950	27838	7832	11627	6955	6955	1548	1548	1548
3	बौद्ध भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	1600	52800	30300	22400	22034	22922	7684	9771	6955	6955	1548	1548	1548
4	पठारी भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	1600	56100	27400	21900	22276	23164	7926	10013	6955	6955	1548	1548	1548
5	सामान्य भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	1100	35700	31700	20300	18893	19319	7709	9796	6955	6955	1548	1548	1548
6	ऊसर भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	2000	64900	58000	24400	24030	24918	7632	11627	6955	6955	1548	1548	1548
7	बौद्ध भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	1100	44100	24100	18900	19014	19902	7684	9771	6955	6955	1548	1548	1548
8	पठारी भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	1100	46000	21300	18500	19256	20144	7926	10013	6955	6955	1548	1548	1548
9	सामान्य, ऊसर एवं पठारी क्षेत्रों में वृक्षारोपण में 8 से 12 फुट पीघ के रोपण का आच्छादीय छप्पे व काटेदार तार से घेरना/सुखा खाई/पत्थरबंदी आदि कार्य (सिंचाई हेतु बोरिंग का प्रावधान) (प्रति हे० 025 पीघ)													
	1) सुखा खाई/पत्थरी बंदी													
	अ- सामान्य	625	45900	97800	33500	28763	17795	7485	7485	6727	6727	1320	1320	1320
	ब- ऊसर	625	57000	101000	33500	28953	17985	7675	7675	6727	6727	1320	1320	1320
	स- पठारी	625	76400	97600	33500	28858	17890	7580	7580	6727	6727	1320	1320	1320
	2) काटेदार तार से घेरना/आच्छादीय पिलर सहित													
	अ- सामान्य	625	74400	110300	33500	28852	17884	7574	7574	6727	6727	1320	1320	1320
	ब- ऊसर	625	81600	113500	33500	28852	17884	7574	7574	6727	6727	1320	1320	1320
	स- पठारी	625	70700	110600	33500	28852	17884	7574	7574	6727	6727	1320	1320	1320
10	सामान्य, ऊसर एवं पठारी क्षेत्रों में वृक्षारोपण में 8 से 12 फुट पीघ के रोपण का आच्छादीय छप्पे व काटेदार तार से घेरना/सुखा खाई/पत्थरबंदी आदि कार्य (सिंचाई हेतु बोरिंग का प्रावधान) (प्रति हे० 025 पीघ)													
	1) सुखा खाई/पत्थरी बंदी													
	अ- सामान्य	625	38500	112000	52400	41579	22628	7485	7485	6727	6727	1320	1320	1320
	ब- ऊसर	625	49600	119900	52400	41769	22818	7675	7675	6727	6727	1320	1320	1320
	स- पठारी	625	69000	111800	52400	41674	22723	7580	7580	6727	6727	1320	1320	1320
	2) काटेदार तार से घेरना/आच्छादीय पिलर सहित													
	अ- सामान्य	625	67900	124500	52400	41668	22717	7574	7574	6727	6727	1320	1320	1320
	ब- ऊसर	625	74200	132400	52400	41668	22717	7574	7574	6727	6727	1320	1320	1320
	स- पठारी	625	63300	124700	52400	41668	22717	7574	7574	6727	6727	1320	1320	1320
11	सामान्य, ऊसर एवं पठारी क्षेत्रों में वृक्षारोपण में 8 से 12 फुट पीघ के रोपण का आच्छादीय छप्पे व काटेदार तार से घेरना/सुखा खाई/पत्थरबंदी आदि कार्य (सिंचाई हेतु बोरिंग का प्रावधान) (प्रति हे० 1000 पीघ)													
	अ- सामान्य	1000	87400	158200	41500	34192	20029	7574	7574	6727	6727	1320	1320	1320
	ब- ऊसर	1000	99000	163300	41500	34192	20029	7574	7574	6727	6727	1320	1320	1320
	स- पठारी	1000	81500	158600	41500	34192	20029	7574	7574	6727	6727	1320	1320	1320
12	त्रिकर्णाई में किए जा रहे वृक्षारोपण (सिंचाई बिकनाई)			3309.00	473.00	385.67	62.28	16.58	16.58	16.58	16.58	2.74	2.74	2.74
13	आच्छादीय गार्ड में किए जा रहे वृक्षारोपण (सिंचाई आच्छादीय गार्ड)			2617.00	231.36	157.92	62.22	16.52	16.52	16.52	16.52	2.68	2.68	2.68
14	गार्ड के किनारे पॉलिथीन वृक्षारोपण (गारनाइ-आच्छादीय छप्पे व काटेदार तार) प्रति हे० 025 पीघ	625	393100	264400	53100	41991	23160	7937	7937	6727	6727	1320	1320	1320

परिशिष्ट - L.
मार्ग के किनारे पंक्ति वृक्षारोपण (तारबाड़-आर0सी0सी0 खम्भें व काटेंदार तार) 625 पौध प्रति हे0 (मजदूरी रू0 237 / प्रतिदिन)

प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण व सीमांकन	1	प्रति हे0	57.75	57.75
2	स्थल सफाई	1	प्रति हे0	414.69	414.69
3	मृदा परीक्षण	1	प्रति हे0	250.00	250.00
4	मृदा कार्य हेतु संरक्षण (गड्ढा/माउण्ड)	625	प्रति गड्ढा	0.36	225.00
5	मृदा कार्य				
	अ-गड्ढा खुदान (0.60X0.60X0.60 सेमी0)	438	प्रति गड्ढा	23.70	10380.60
	ब-माउण्ड निर्माण (उपरी व्यास 0.90 मी0 निचला व्यास 2.10 मी0 ऊँचाई 60 मी0)	187	प्रति गड्ढा	59.24	11077.88
6=	तारबाड़ हेतु सामग्री				
	अ-आर0सी0सी0 के खम्भों का मूल्य मय कर सहित (0.15X 0.10X0.1.80 मी0)	500	प्रति खम्भा	536.00	268000.00
	ब-काटेंदार तार का मूल्य (5 लड़)	0.90	प्रति टन	112890.00	101601.00
8	अन्य व्यय	1		1100.00	1100.00
	योग-				393106.92
				या	393100.00

[Handwritten signature]

मार्ग के किनारे पंक्ति वृक्षारोपण (तारबाड़-आर०सी०सी० खम्भों व काटेंदार तार) 625 पौध प्रति हे० (मजदूरी रू० 237/प्रतिदिन

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा/ संख्या	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)					
1	गड़दो का भरान	438	प्रति	1.90	832.20
2	गड़दो/माउण्डों में कीटनाशक मिलाना	625	प्रति	0.18	112.50
3	गड़दो/माउण्डों हेतु मृदा सुधारक/गोबर की खाद का प्रयोग	625	प्रति	13.43	8393.75
4	पौध का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध)	644	प्रति	70.00	45080.00
4 तारबाड़ कार्य					
	अ-आर०सी०सी० खम्भों को ग्राउटिंग 6:3:1 सीमेन्ट कंकीट	500	प्रति	257.62	128810.00
	ब-खम्भों का स्थानीय दुलान	500	प्रति	4.46	2230.00
	स-तार की खिचाई	12500	प्रति मी०	1.15	14375.00
5	पौधों का दुलान (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध)(10-20 किमी०)	644	प्रति पौध	23.70	15262.80
6	पौधों का स्थानीय दुलान	625	प्रति पौध	8.04	5025.00
7	पौधारोपण,थाला बनवाई व तुरन्त सिंचाई	625	प्रति पौध	6.64	4150.00
8	निराई गुड़ाई व मल्लियग निराई गुड़ाई 2 बार	1250	प्रति	1.52	1900.00
9	सिंचाई कार्य नवम्बर से मार्च तक 9 बार (9x625)	5625	प्रति	3.92	22050.00
10	रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	1	प्रति	600.00	600.00
11	वृक्षारोपण बोर्ड	1.00	प्रति	706.65	706.65
12	विभागीय ट्रेक्टर व टैंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि।	1	प्रति हे०	750.00	750.00
13	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय माह जुलाई से मार्च तक 5 हे० पर 1 (274/5=54.8 दिन)	54.80	प्रति दिन	237.00	12987.60
14	अन्य प्रकीण व्यय	1	हे०	1100.00	1100.00
योग-					264365.50
					या
					264400.00



HU/2026-27/NGT/199

29 Jun 2026

✓ The Regional Officer (UPPCB)
Awaz Vikas Office Complex
Bhelupur
Varanasi - 221010

Compliance Report on Hon'ble NGT Order

Dear Sir,

1. Please refer to your office letter 588/NGT OA No. 928/2024/29 dated 22 Jun 2026.
2. In compliance with the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) Order dated 07 July 2025, compensatory plantation was undertaken at the prescribed rate of a minimum of 20 trees for each tree illegally felled. Accordingly, a total of 978 trees were planted, of which 859 trees are presently surviving. The detailed information is placed at the enclosure. Further, the compounding fee, as directed by the office of the Divisional Forest Officer, has already been deposited by the University.
3. With regard to the felling of Sandalwood trees on the University campus, it is respectfully submitted that these trees were stolen on two separate occasions, in 2018 and 2023. In both instances, the University promptly lodged First Information Reports (FIRs) with the local Police.
4. It is further submitted that the 12 trees felled without obtaining the permission of the DFO were completely dead/dry. Accordingly, it is respectfully requested that, while assessing the environmental cost for these trees, due consideration may kindly be given to their condition.
5. The relevant documents in support of the above submissions are enclosed herewith for kind reference.

Regards,

Sarfaraz Alam
(Professor In-charge)
Horticulturist Unit, BHU

Encl. As above.

Copy to:-

PA to Vice Chancellor, BHU





Enclosure to Horticulturist Unit, BHU
Letter HU/2026-27/NGT/PP dated 29 Jun 2026

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी परिसर में काटे गये पेड़ों के सापेक्ष रोपित किये गये पौधों का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	स्थल का नाम	रोपित पौधों की प्रजातिवार संख्या		जीवित पौधों की संख्या	
			प्रजाति	संख्या	प्रजाति	संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.			गुटेल	77	गुटेल	72
2.			सागौन	95	सागौन	94
3.			जामुन	15	जामुन	11
4.			शीशम	77	शीशम	61
5.			बालम खीरा	10	बालम खीरा	08
6.			नीम	10	नीम	06
7.			सेमल	10	सेमल	05
8.	2025	सेंट्रल डम्प यार्ड	बकायन	05	बकायन	03
9.			इमली	05	इमली	02
10.			अमरुद	05	अमरुद	03
11.			महुआ	10	महुआ	06
12.			कंजी	10	कंजी	06
13.			आंबला	02	आंबला	01
14.			कटसगौन	08	कटसगौन	05





15.	2025	केंद्रिय पौधशाला	अशोका पेंडुला	180	अशोका पेंडुला	171
16.			आम	40	आम	32
17.			सागौन	90	सागौन	82
18.	2025	केंद्रिय विद्यालय (नरिया गेट के पास)	मौलश्री	02	मौलश्री	02
19.			नीम	15	नीम	13
20.		डेयरी फार्म से जिमखाना ग्राउंड तक	आम	40	आम	38
21.	2025	हिंदी भवन चौराहा से बिरला हास्टल चौराहा तक	इमली	40	इमली	36
22.		मैत्री चौराहा से बिरला हास्टल सी तक	इमली	35	इमली	33
23.			इमली	50	इमली	45
24.	2025	जेनेटिक्स चौराहा से आभा गेस्ट हाउस तक	आम	25	आम	23
25.			मौलश्री	10	मौलश्री	08
26.			महोगनी	20	महोगनी	16
27.			पुत्रनजीवा	15	पुत्रनजीवा	12
28.	2025	पुलिस चौकी (सीर गेट)	जारुल	30	जारुल	27
29.			अनार	25	अनार	21
30.			मौलश्री	17	मौलश्री	13
31.	2025	सांख्यिकी विभाग और भूगोल विभाग के पास	इमली	03	इमली	02
32.			आम	02	आम	02
		कुल		978		859



श्री 2024-3

रिपोर्ट थाना लंका कमिश्नरी वाराणसी

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आपके पत्र संख्या सीपी0/24-25/1160 दिनांक 28.10.2024 के सन्दर्भ में अवगत कराना है। की थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1052/2018 धारा 379 भादवि0 व 4/10 वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की प्रगति आख्या के सन्दर्भ में अवगत कराना है की तामामी विवेचना उपरान्त मुकदमा उपरोक्त में प्रयाप्त साक्ष्य न मिलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 16.12.2018 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है एव मु0अ0सं0 403/2023 धारा 379 भादवि0 की प्रगति आख्या के सन्दर्भ में अवगत कराना है की विवेचना उपरान्त मुकदमा उपरोक्त में प्रयाप्त साक्ष्य न मिलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 18.12.2023 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

थाना लंका
कमिश्नरी वाराणसी



AA

FIRST INFORMATION REPORT(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 टिड प्रक्रिया संहिता के तहत)1. District (जिला): वाराणसी P.S. (थाना): लंका Year (वर्ष): 2018
FIR No. (प्र.सू.नं.): 1052 Date & Time of FIR (प्र.सू.नं. की दिनांक/समय): 06/10/2018 20:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएं)
1	घन (संरक्षण) अधिनियम, 1980	4
2	घन (संरक्षण) अधिनियम, 1980	6
3	भा.ट.सं. 1860	379

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): बुधवार Date From (दिनांक से): 03/10/2018 Date To (दिनांक तक): 03/10/2018
Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 20:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 06/10/2018 Time (समय): 20:53 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 049 Date & Time (दिनांक और समय): 06/10/2018 20:53 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 02 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): दय्यगुण विभाग परिसर वीएचयू

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District (State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री पी.एन.0 तिवारी

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष): 1973

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यू.आई.डी. सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	सुरक्षा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, लंका, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	सुरक्षा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, लंका, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत जांच फॉर्म -1)

Occupation (व्यवसाय):

Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन:

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात			

Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

Particulars of properties of Interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs./-) (मूल्य (₹ में))
1	अन्य	वन उत्पाद	04 अटल वन का पेड़	

1. Total value of property (In Rs./-) - सम्पत्ति का कुल मूल्य (₹ में):

1. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो)

S.No. (क्र. सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

2. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

संदर्भ सं० सीपी / 2018-2019/ 890, धानाध्यक्ष थाना लंका वाराणसी, महोदय दिनांक 03.10.2018 को चिकित्सा विज्ञान संस्थान के दृव्यगुण विभाग के निभागाध्यक्ष प्रो० कमल नयन द्विवेदी द्वारा इस कार्यालय में लिखित रिपोर्ट की गई कि विभागीय परिसर में चन्दन के चार पेड़ काटे गये हैं तथा काटी गई लकड़ी चुरा ली गई है। इस कार्यालय के सुरक्षाधिकारी सर्व श्री रामशंकर एवं श्री.एन. सिंह द्वारा उपरोक्त मामले की छानबीन की गई। छानबीन में पाया गया कि दृव्यगुण विभाग से बहुमूल्य लकड़ी की चोरी की गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त चोरी की घटना की एफ.आई.आर. दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें। P.N. Tiwari भवदीय अ०ह० सुरक्षा अधिकारी मय मुहर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी-221005 दिनांक 06.10.2018, नोट- में का०मु० विजय कुमार यादव प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल मुझ द्वारा बोल कर का० सभाजीत कुमार द्वारा कम्प्यूटर में अक्षरशः अंकित कराया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation:

or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): PARMANAND YADAV Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

Nb: 152760113

to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इकार किया

(4) Transferred to P.S.

District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C. (आर. ओ. ए. सी.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

Signature/Thumb impression of the complainant /
अभिज्ञान (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का
निम्न):

Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की
तारीख और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): BHARAT BHUSHAN TIWARI
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 072760257

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): काशी P.S. (थाना): लंका Year (वर्ष): 2023
(कमिश्नरेट वाराणसी)

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0403

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 13/10/2023 20:42 घंटे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा.दं.सं. 1860	379

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): शुक्रवार	Date from (दिनांक से): 13/10/2023	Date To (दिनांक तक): 13/10/2023
-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Time Period (समय अवधि): पहर 3	Time From (समय से): 06:15 बजे	Time To (समय तक): 06:15 बजे
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):	Date (दिनांक): 13/10/2023	Time (समय): 20:42 बजे
---	---------------------------	-----------------------

(c) General Diary Reference (रीजनामचा संदर्भ):	Entry No. (प्रविष्टि सं.): 067	Date and Time (दिनांक और समय): 13/10/2023 20:42 बजे
--	--------------------------------	---

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 03 कि. मी.	Beat No. (बीट सं.):
--	---------------------

(b) Address (पता): द्रव्य गुण विभाग बी0एच0यू0

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): काशी P.S. (थाना): लंका Year (वर्ष): 2023
(कमिश्नरेट वाराणसी)

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0403 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 13/10/2023 20:42 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द स 1860	379

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): शुक्रवार	Date from (दिनांक से): 13/10/2023	Date To (दिनांक तक): 13/10/2023
Time Period (समय अवधि): पहर 3	Time From (समय से): 06:15 बजे	Time To (समय तक): 06:15 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):	Date (दिनांक): 13/10/2023	Time (समय): 20:42 बजे
---	---------------------------	-----------------------

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):	Entry No. (प्रविष्टि सं.): 067	Date and Time (दिनांक और समय): 13/10/2023 20:42 बजे
--	--------------------------------	---

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 03 कि. मी.	Beat No. (बीट सं.):
--	---------------------

(b) Address (पता):- द्रव्य गुण विभाग बी0एच0यू0

(e) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री विजय कुमार सहायक सुरक्षा अधिकारी मुख्य आरक्षाधिकारी कार्यालय

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1973 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, लंका, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, लंका, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9532313820

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अज्ञात			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, थाना प्रभारी महोदय थाना लंका वाराणसी द्वारा- मुख्य आरक्षाधिकारी बी०एच०यू० वाराणसी विषय:- द्रव्य गुण विभाग में कीमती पेड़ चोरी होने के सन्दर्भ में महोदय, आज लगभग प्रातः 06.15 AM को चौकीदार दीपक राम ने कन्ट्रोल को सूचना दिया कि विभाग के गेट पर टीन सेड में कीमती पेड़ था जो गायब है, मौके पर टीम ने निरीक्षण किया तो पेड़ नहीं था। विभाग के बाउण्ड्री के अन्दर झाड़ियों में सर्च किया गया तो 03 और कीमती पेड़ काटे गये है अतः 04 पेड़ काटे गये है और मौके से लकड़ी गायब है। प्राचीं ह० अंग्रेजी अपठनीय विजय कुमार 9532313820 दि० 13.10.23 गृहर सहायक सुरक्षा अधिकारी/ मुख्य आरक्षाधिकारी कार्यालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी 221005 नोट- 30नि०/हे०मु० घूरा प्रसाद प्रमाणित करता हूँ कि जी०डी० में कायमी व धारा तथा प्रार्थना पत्र की नकल मेरे द्वारा अक्षरशः बोल बोलकर का० मुकेश यादव से सीसीटीएनएस में अंकित करवाया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/ नाम): ADITYA KUMAR RAI अवर निरीक्षक

No. (सं.): 192766180 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cm) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						

चेचक: नहीं.

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language / Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)	Others (अन्य)

Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)
14	15	16	17	18

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,
Police Station (थाना प्रभारी के
हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): ASHWANI
PANDEY

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 092050017

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और
समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना
रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the
suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और
अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम SBI, Varanasi
1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही हो उसका नाम _____
2. पता प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) _____
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा 12 वृक्षों का प्रशमन शुल्क की धनराशि 30000.00 रुपये मात्र डाफ्ट संख्या-634776 दिनांक 06.12.2025 द्वारा राजस्व भंड में जमा।
5. चालान की सकल धनराशि ₹ 30000.00 मात्र।
6. चालान की निबल धनराशि ₹ 30000.00 मात्र।
7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर 0406-वानिकी एवं वन्य प्राणी।

लेखाशीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	ब्यौरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0 4 0 6	0 1	8 0 0	0 1	0 2	30000.00
डी0डी0 संख्या-634776 दिनांक 06.12.2025					-
					-

धनराशि (शब्दोंमें) मु० (तीस हजार) रुपये मात्र।

योग

30000.00

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

B. K. Singh
प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी


जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या LJA 7856

दिनांक: _____

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
बैंक की मुहर सहित



विश्वविद्यालय के अंदर किए गए सूखे एवं खतरनाक वृक्षों के सर्वेक्षण का विवरण

क्रमांक संख्या	स्थान का नाम	पेड़ की प्रजाति	पेड़ की गोलाई (से. मी.)	पेड़ की संख्या
पानी टंकी सीर गेट से महिला महाविद्यालय रोड				
1.	पानी टंकी के बगल में	आम	183	1
2.	पानी टंकी के बगल में	चील बील	130	1
3.	पानी टंकी के बगल में	केशीया	92	1
4.	सीर गेट रोड कालोनी	अमलताश (5-35)	198	1
5.	सीर गेट रोड कालोनी	केशीया	92	1
6.	सीर गेट रोड कालोनी	अमलताश	90	1
7.	सीर गेट रोड कालोनी	अमलताश	82	1
8.	धनवंतरी अरबबिंदो कालोनी	गुलमोहर	188	1
9.	सरोजनी नाइडू हास्टल से ला कालेज रोड	आम	290	1
10.	सरोजनी नाइडू हास्टल से ला कालेज रोड	शीशम	68	1
ला कालेज से स्वतंत्रता भवन रोड				
11.	एम्फीथिएटर रोड	आम	275	1
12.	एम्फीथिएटर रोड	आम का कटा ठूठा पेड़	190	1
13.	एम्फीथिएटर रोड	शिरिस	87	1
14.	एम्फीथिएटर रोड	आम का कटा ठूठा पेड़	235	1
15.	जंतु विज्ञान गेट के सामने	अमलताश	75	1
16.	जंतु विज्ञान गेट के सामने	आम	190	1
17.	लाईब्रेरी गेट के पास	आम	293	1
18.	लाईब्रेरी गेट के पास	आम का कटा ठूठा पेड़	292	1
डेरी फार्म से मधुवन चौराहा रोड				
19.	आई आई टी अनुवंशीकी विभाग गेट के सामने	सागवान	143	1
20.	आई आई टी अनुवंशीकी विभाग गेट के सामने	आम का ठूठा पेड़	170	1
21.	आई आई टी अनुवंशीकी विभाग गेट के सामने	आम का ठूठा पेड़	190	1
22.	प्राचीन इतिहास रोड	कटहल	175	1
एल डी चौराहा (छात्रावास रोड) - विवेकानंद हास्टल, आई आई टी तक				
23.	रईआ ग्राउंड रोड	पछियाना	108	1
24.	हेल्थ सेंटर के पास	आम	270	1
25.	धनराज गिरि रोड पर	महुआ	105	1
26.		महुआ	195	1
27.		महुआ	170	1
28.	विवेकानंद छात्रावास रोड	आम	253	1
29.		आम	327	1
30.	विवेकानंद छात्रावास में	आम	195	1
31.		आम	290	1
32.		आम	142	1
करमनबीर बाबा मंदिर से एन सी सी तिराहा एस एस बी बिल्डिंग तक				
33.	कर्मचारी हेल्थ सेंटर के सामने	कटहल	203	1
34.	1-जी एफ - जोधपुर कालोनी	आम का ठूठा पेड़	82	1
डा. गेट से महामना स्कूल से करमनबीर मंदिर				
35.	ओल्ड जी -17, कालोनी रोड	आम का ठूठा पेड़	82	1
36.	सी-1, जी एफ	जंगली गुलर	110	1

47

जसवीर कुमार देववाल
वरिष्ठ अधिकारी उद्यान
Senior Officer, Horticulture
कक्षा 10, विद्यापीठ, दिल्ली

क्रमांक संख्या	स्थान का नाम	पेड़ की प्रजाति	पेड़ की गोलाई (से. मी.)	पेड़ की उचा
37.	बी-1, गर्ल हास्टल रोड	सागौन	146	1
38.	ए-5 (II), प्रिंसिपल कालोनी	सागौन	208	1
39.	ओल्ड एल-17, के सामने	सागौन	85	1
40.	एल -33, आई आई टी	जुराइमन	153	1
41.	महामना विद्यालय के सामने	सागौन	190	1
42.	महामना विद्यालय के सामने	सागौन	88	1
43.	महामना विद्यालय के सामने	सागौन	72	1
करमनबीर मंदिर से ना टीचींग क्लब, आई आई टी रोड				
44.	नई बिल्डिंग काफी डे के सामने	शीशम	74	1
45.	नई बिल्डिंग काफी डे के सामने	शीशम	120	1
46.	नई बिल्डिंग काफी डे के सामने	सागौन	53	1
47.	नई बिल्डिंग काफी डे के सामने	सागौन	158	1
48.	आई आई टी फिल्ड जीमखाना	शीशम	100	1
49.	आई आई टी फिल्ड जीमखाना	शीशम	70	1
50.	आई आई टी फिल्ड जीमखाना	शीशम	164	1
51.	आई आई टी फिल्ड जीमखाना	शीशम	100	1
52.	आई आई टी फिल्ड जीमखाना	शीशम	40	1
53.	आई आई टी फिल्ड जीमखाना ग्राउंड	आम	185	1
54.	आई आई टी फिल्ड जीमखाना ग्राउंड	आम	193	1
55.	आई आई टी फिल्ड जीमखाना ग्राउंड	आम	200	1
भारतदू हरिशचंद्र छात्रावास से हैदराबाद गेट तक				
56.	कृषि विज्ञान संस्थान गेट के बगल में	आम	345	1
57.	आई आई टी डायरेक्टर आफिस रोड पर	ईमली	197	1
58.	हैदराबाद गेट के पास	अमलताश	105	1
59.	सिद्धार्थ विहार से नर्सरी पुराना गेट रमन हास्टल तक	केशिया	90	1
60.	सिद्धार्थ विहार से नर्सरी पुराना गेट रमन हास्टल तक	केशिया	72	1
61.	रोड जोन पी डबल्यू डी से आई आई टी गर्ल हास्टल तक			1
62.	जन्तु विज्ञान रोड	अमलताश	50	1
63.	एस आर के हास्टल चौराहा	कटहल	300	1
ओल्ड जी -10, जोधपुर कालोनी से केमिस्ट्री विभाग तक				
64.	वाणिज्य विभाग रोड पर	नीम	300	1
65.	विज्ञान संस्थान, आई आई टी	अमलताश	70	1
66.	माईनिंग विभाग, आई आई टी	शीशम	245	1
67.	बिरला ब्रोचा रोड	ईमली	104	1
68.	पोस्ट आफिस	नीम	192	1
69.	एल बी एस हास्टल	आम	248	1
70.	ला कालेज से सरोजनी नाइडू हास्टल तक	शीशम	68	1
वी सी आफिस से पुराना पेट्रोल पम्प				
71.	चीफ प्राक्टर आफिस	आम	175	1
72.	गैरेज न. 2 के पीछे	आम	190	1
डा. न्यू बिल्डिंग से मेडिकल कालेज तक				
73.	सीता निवास के पास	आम	122	1
74.	पुनर्वसु छात्रावास	सागौन	97	1
75.	पुनर्वसु छात्रावास	सागौन	55	1

3-10-2019 49 01/2/19

48

Senior Officer, Horticulture

भारत के कृषि विभाग

भारत के कृषि विभाग

क्र संख्या	स्थान का नाम	पेड़ की प्रजाति	पेड़ की गोलाई (से. मी.)	पेड़ की संख्या
76.	पुनर्वसु छात्रावास	सागौन	110	1
77.	पुनर्वसु छात्रावास	सागौन	82	1
78.	पुनर्वसु छात्रावास	केशिया	81	1
79.	पुनर्वसु छात्रावास	बेर	120	1
80.	रईया छात्रावास	बडहर	91	1
81.	रईया छात्रावास	ठूठा पेड़ सेमल	140	1
82.	बिरला 'बी' छात्रावास	शीशम	135	1
83.	बिरला 'बी' छात्रावास	शीशम	114	1
84.	एल बी एस छात्रावास के पीछे	आम	60	1
85.	श्री मती मूना देवी छात्रावास	केशिया	68	1
86.	रानी रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास के पास	महुआ	240	1
87.	रानी रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास के पास	महुआ	283	1
महिला महाविद्यालय और हास्टल				
88.	पानी टंकी के बगल मे	शीशम	225	1
89.	कृति कुंज हास्टल रोड	यूके लिप्टस	183	1
90.	कृति कुंज हास्टल रोड	यूके लिप्टस	63	1
91.	ज्योति कुंज हास्टल रोड	सागौन	202	1
92.	प्रज्ञा कुंज हास्टल रोड	आम	58	1
93.	नया अंतराष्ट्रीय महिला छात्रावास	नीम	180	1
94.	नया अंतराष्ट्रीय महिला छात्रावास	आम	155	1
95.	नया अंतराष्ट्रीय महिला छात्रावास	आम	99	1
96.	3 आर्मड स्क्वाड्रन एन एन सी	आम	130	1
97.	3 आर्मड स्क्वाड्रन एन एन सी	ठूठा पेड़ आम	132	1
98.	मेडिकल गर्ल्स हास्टल	सागौन	155	1
99.	मेडिकल गर्ल्स हास्टल	सागौन	168	1
100.	मेडिकल गर्ल्स हास्टल	बबूल	175	1
101.	एन एन सी हाउस	नीम	130	1
102.	सिद्धार्थ विहार हास्टल	सागौन	65	1
103.	सिद्धार्थ विहार हास्टल	सागौन	82	1
104.	धनराज गिरि छात्रावास (न्यू बिल्डिंग)	आम	30	1
105.	धनराज गिरि छात्रावास (न्यू बिल्डिंग)	आम	268	1
106.	राजपूताना छात्रावास	आम	76	1
107.	विश्वकर्मा के बगल (न्यू बिल्डिंग)	जामून	183	1
108.	विश्वकर्मा छात्रावास के आगे रोड पर	सागौन	80	1
109.	विश्वकर्मा छात्रावास के आगे रोड पर	सागौन	35	1
110.	विश्वकर्मा छात्रावास के आगे रोड पर	सागौन	37	1
111.	विश्वकर्मा छात्रावास के आगे रोड पर	आम	280	1
112.	विश्वकर्मा छात्रावास के आगे रोड पर	सागौन (गिरा हुआ)	80	1
113.	केमिकल इंजीनियरिंग, आई आई टी (गिरा हुआ)	कचनार	73	1
114.	केमिकल इंजीनियरिंग, आई आई टी	शीशम	74	1
115.	केमिकल इंजीनियरिंग, आई आई टी (गिरा हुआ)	शीशम	75	1
116.	केमिकल इंजीनियरिंग, आई आई टी (आगन में)	बरगद	300	1
117.	केमिकल इंजीनियरिंग, आई आई टी (आगन में)	आम	113	1
118.	केमिकल इंजीनियरिंग, आई आई टी (आगन में)	केशिया	51	1

3-10-2014

49

अशोक कुमार देसाय
वरिष्ठ अधिकारी ज्यूनियर
Senior Officer, Horticulture
कक्षा 10, विद्यालय 223004

क्रमांक संख्या	स्थान का नाम	पेड़ की प्रजाति	पेड़ की गोलाई (से. मी.)	पेड़ की उम्र
119.	केमिकला इंजीनियरिंग, आई आई टी (आगन में)	केशिया	90	1
120.	केमिकला इंजीनियरिंग, आई आई टी (आगन में)	केशिया	60	1
121.	केमिकला इंजीनियरिंग, आई आई टी (आगन में)	सागौन	56	1
122.	केमिकला इंजीनियरिंग, आई आई टी (आगन में)	सागौन	60	1
123.	रसायन विज्ञान, आई आई टी	केशिया	125	1
124.	रसायन विज्ञान, आई आई टी	केशिया	190	1
125.	रसायन विज्ञान, आई आई टी	सिरिस	60	1
126.	रसायन विज्ञान, आई आई टी	केशिया	130	1
127.	सिविल इंजीनियरिंग, आई आई टी	अमलताश	70	1
128.	सिविल इंजीनियरिंग, आई आई टी	अमलताश	60	1
129.	सिविल इंजीनियरिंग, आई आई टी	आम	65	1
130.	जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान	अमलताश	70	1
131.	रसायन विज्ञान	अमलताश	60	1
132.	रसायन विज्ञान	अमलताश	40	1
133.	संस्कृत ज्योति विभाग	यूके लिप्टस	103	1
134.	संस्कृत ज्योति विभाग	शीशम	144	1
135.	संस्कृत ज्योति विभाग	शीशम	175	1
136.	संस्कृत ज्योति विभाग	शीशम	60	1
137.	धनवंतरि भवन	पुतरन जीवा (गिरा हुआ)	130	1
138.	पी डबल्यू डी गोदाम	शीशम	70	1
139.	माइनिंग इंजिनियरिंग से जूलाजी विभाग	अमलताश	40	1
140.	माइनिंग इंजिनियरिंग से जूलाजी विभाग	अमलताश	30	1
141.	इंटरनेशनल सेंटर	आम	236	1
142.	इंटरनेशनल सेंटर (अंदर)	आम	220	1
143.	डेरी फार्म (तालाब के सामने सूखा केशिया का पेड़)	केशिया	97	1
144.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	97	1
145.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	105	1
146.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	85	1
147.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	86	1
148.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	80	1
149.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	125	1
150.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	70	1
151.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	112	1
152.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	100	1
153.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	115	1
154.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	97	1
155.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	94	1
156.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	97	1
157.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	121	1
158.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	70	1
159.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	97	1
160.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	123	1
161.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	113	1
162.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	97	1

3904th 2012 1/2

50


अश्विनी कुमार देवदत्त
वरिष्ठ अधिकारी ज्येष्ठ
Senior Officer, Horticulture
कृषि विज्ञान विद्यालय २२३००५

क्र.सं.	स्थान का नाम	पेड़ की प्रजाति	पेड़ की गोलाई (से. मी.)	पेड़ की संख्या
163.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	117	1
164.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	130	1
165.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	100	1
166.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	117	1
167.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	95	1
168.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	112	1
169.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	115	1
170.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	111	1
171.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	116	1
172.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	118	1
173.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	120	1
174.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	95	1
175.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	93	1
176.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	80	1
177.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	160	1
178.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	110	1
179.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	90	1
180.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	109	1
181.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	87	1
182.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	85	1
183.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	90	1
184.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	80	1
185.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	87	1
186.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	117	1
187.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	70	1
188.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	90	1
189.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	83	1
190.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	113	1
191.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	90	1
192.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	88	1
193.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	115	1
194.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	116	1
195.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	117	1
196.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	75	1
197.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	112	1
198.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	95	1
199.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	96	1
200.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	70	1
201.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	95	1
202.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	72	1
203.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	74	1
204.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	90	1
205.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	100	1
206.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	112	1

3-1-2014 11-5-2014

क्रमांक संख्या	स्थान का नाम	पेड़ की प्रजाति	पेड़ की गोलाई (से. मी.)	पेड़ की उम्र
207.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	88	1
208.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	84	1
209.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	96	1
210.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	94	1
211.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	90	1
212.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	80	1
213.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	100	1
214.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	90	1
215.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	77	1
216.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	100	1
217.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	52	1
218.	डेरी फार्म तालाब के सामने	नीम का सूखा पेड़	184	1
219.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	60	1
220.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	132	1
221.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	78	1
222.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	77	1
223.	डेरी फार्म तालाब के सामने	केशिया	66	1
224.	हवाई पट्टी ग्राउंड में (गेट पर)	बेल	175	1
225.	हवाई पट्टी ग्राउंड में	कचनार	55	1
226.	हवाई पट्टी ग्राउंड में	कचनार	115	1
227.	हवाई पट्टी ग्राउंड में	कचनार	70	1
228.	हवाई पट्टी ग्राउंड में	कचनार	120	1
229.	एग्रीकल्चर फार्म	आम	177	1
230.	एग्रीकल्चर फार्म	आम	212	1
231.	प्रबंध शास्त्र	यूके लिप्टस	172	1
232.	राजपूताना से विवेकानंद छात्रावास	अशोक	30	1
233.	आई आई टी जिमखाना में	शीशम	90	1
234.	आई आई टी जिमखाना में	केशिया	50	1
235.	गांधी स्मृति संस्थान	आम	110	1
236.	गांधी स्मृति संस्थान	आम (सूखा)	70	1
237.	राजपूताना के पिछे	आम	340	1
238.	लिमिडी हास्टल के पिछे (सर्वेंट क्वार्टर)	आम	120	1
239.	लिमिडी हास्टल के पिछे (सर्वेंट क्वार्टर)	आम	270	1
240.	विवेकानंद हास्टल के पिछे (सर्वेंट क्वार्टर)	आम	240	1
241.	विवेकानंद हास्टल के पिछे (सर्वेंट क्वार्टर)	आम	70	1
242.	लिमिडी हास्टल के पास	आम	336	1
243.	न्यू डाक्टर इंकलेव	मौलसरी	104	1
244.	न्यू डाक्टर इंकलेव	अमलताश	84	1
245.	डाक्टर कालोनी (पी-14)	नीम	140	1
246.	डाक्टर कालोनी (डा. जी एन श्रीवास्तव आवास)	अमलताश	40	1
247.	डाक्टर कालोनी (डा. जी एन श्रीवास्तव आवास)	अमलताश	30	1
248.	डाक्टर कालोनी (डा. जी एन श्रीवास्तव आवास)	अमलताश	36	1
249.	कामकाजी महिला छात्रावास के गेट पर	मौलसरी	84	1
250.	कामकाजी महिला छात्रावास (मेस के अंदर)	सागौन	62	1

क्रम संख्या	स्थान का नाम	पेड़ की प्रजाति	पेड़ की गोलाई (से. मी.)	पेड़ की संख्या
251.	एल-2 (एफ एफ) (डा. धीरेन्द्र नाथ चौबे आवास)	शिरिस	95	1
252.	एल-12 (जी एफ), तुलसीदास कालोनी	अमरुद	40	1
253.	एल-12 (जी एफ), तुलसीदास कालोनी	आम	200	1
254.	वनस्पति विज्ञान के गार्डन में	खिरनी	90	1
255.	वनस्पति विज्ञान संस्थान	आम	205	1


 अश्विनी कुमार देशवाल
 वरिष्ठ अधिकारी उद्यान
 Senior Officer, Horticulture
 सहायक शिक्षक विद्यालय २२१००५
 Bharas Hindu University-221005

37/04/2012



संदर्भ सं० / Ref.No.

669/MPTEA/10.15/2026/26-27

दिनांक / Date: 03/07/26

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6),
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी०-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई०ए० सं० 15/2026 इन ओ०ए० संख्या 928/2024 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.03.2026 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई०ए० सं० 15/2026 इन ओ०ए० संख्या 928/2024 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.03.2026 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के कार्मिकों द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के परिसर में पातन किये गये वृक्षों के ऑकलन के सम्बन्ध में आख्या क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 850/ओ.ए. नं. 928/2024 /2025-26, दिनांक 30.10.2025 से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गई है। अद्यतन में मा० एन०जी०टी० उक्त वाद से सम्बंधित राज्य बोर्ड के अधिवक्ता सुश्री स्थवी अस्थाना से विचार-विमर्श किया गया। उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि वृक्षों के पातन के सम्बंध में मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०सं० 335/2023 प्रमोद त्यागी बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21 मार्च, 2025 के आधार पर अवैध पातन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन किया जाना है, संदर्भित मा० एन०जी०टी० के आदेश का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि उक्त आदेश के पैरा-89 के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के ऑकलन की प्रक्रिया दी गई है। तत्कम में वांछित सूचनाए प्राप्त किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक दिनांक 18.06.2026 से प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी एवं पत्रांक दिनांक 22.06.2026 काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को पत्र प्रेषित किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी के पत्रांक 34/29-1, दिनांक 02.07.2026 एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के पत्र दिनांक 29.06.2026 से प्रतिउत्तर प्राप्त किया गया तथा प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी के पत्र से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के परिसर में अवैध रूप से पातन किये गये 33 वृक्षों के दृष्टिगत रु० 26526877.08 (दो करोड़ पैंसठ लाख छब्बिस हजार आठ सौ सतहत्तर एवं आठ पैंसा मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन किया गया है। ऑकलन आख्या पत्र के साथ संलग्नकर अवलोकनार्थ एवं नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्नक:—यथोपरि।

भवदीय,

(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प०सं० एवं दिनांक:—उपरोक्त।

प्रतिलिपि:—प्रभारी-विधि, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

0/0

Report on Assessment of environment compensation of illegal trees felled within the campus of Banaras Hindu University, Varanasi, in compliance with the order dated 18.03.2026 07.07.2025 passed in O.A. No. 928/2024 (Saurabh Tiwari vs. Union of India & Others) filed before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.

In reference to the above and in compliance with instructions given by Head Office, Lucknow, Inspection for assessment of illegal trees felled on the campus of Banaras Hindu University, Varanasi carried out by Regional Office on dated 24.10.2025 and report prepared on the basis of inspection and office record and sent to HO vide letter no. 850/OA No. 928/2024/2025-26, dated 30.10.2025. Subsequently, consultations were held with Ms. Sthavi Asthana, the counsel representing the State Board in the said matter before the Hon'ble NGT. She advised that the environmental compensation for the illegal felling of trees must be assessed based on the Hon'ble NGT's order dated March 21, 2025, passed in Pramod Tyagi vs. State of NCT of Delhi & Ors. in OA No. 335/2023. After examination of the said Hon'ble NGT order, it was found that the environmental compensation is to be assessed based on Paragraph 89 of the order, the following directives have been also issued for action at the state level in accordance with Paragraph ".....98. In order to give effect to the direction given in paras 94 and 95, copy of the judgment shall be forwarded by Registry to all the Chief Secretaries of States and Union Territories; Member Secretaries of State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees; Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries, Environment and Forest of all the States and Union Territories; Director General (Forest), MoEF&CC, New Delhi; Member Secretary, CPCB and Secretary, MoEF&CC, Government of India for information and compliance."

In accordance with the order passed by the Hon'ble NGT (specifically Paragraph 89) letter issued to Forest Department, Varanasi vide letter dated 18.06.2026 for obtaining specific information regarding assessment of EC for illegal trees felled within the campus of Banaras Hindu University, Varanasi and also sent letter to BHU dated 22.06.2026. Relevant information provided by Forest Department, Varanasi vide letter no. 34/29-1, dated 02/07/2026. Based on the key excerpts of the Hon'ble NGT's order (Paragraph 89) and the information provided by the Forest Department, Varanasi, the assessment and report regarding environmental compensation are as follows:

Environment Compensation = (Cost Factor x Trunk area of Tree x Species Factor x Condition Factor x Location Factor) - Royalty Value

(Hon'ble NGT has approved a formula/guidelines prepared by Uttarakhand Pollution Control Board for assessment and computation of environmental compensation for illegal felling of trees causing damage to environment in the matter of OA No.147/2024, Hardeep Sharma vs. Ramesh Chand Aarya, decided vide judgment dated 04.12.2024, :)

Description of factors involve in formula/guideline

Table-A. Description of Various Factors in the Environment Compensation Formula: -

Factors	Description
Trunk area	The cross-section area of the tree trunk measured at breast height. Girth at Breast Height (GBH) (in cm) = $27rr$ ($2\pi r$) Diameter (D) = $2r = \text{GBH}/\text{Pie}$

A

SUSHIL
KUMAR

Digitally signed
by SUSHIL KUMAR
Date: 2026.07.03
14:53:37 +05'30'

J

	<p>Trunk Area (in cm²) = $7r(D/2)^2 = 7rD^2/4$ ($\pi D^2/4$) Where, r is the radius of the tree at GBH in cm. Note: If the GBH of the tree is not reported, then the average GBH of a mature tree of the respective species shall be taken in to consideration for calculation of Trunk Area of the tree. In case the GBH/diameter is not available then the average GBH/diameter of the respective species shall be taken in to account.</p>
<p>Cost Factor (Sapling Cost + Maintenance Cost)</p>	<p>The full cost (estimated per unit of the cross-sectional area of the trunk, i.e., per square centimeter) of a newly planted sapling that is at least 1.80 meters tall. Its derivation has two components: the nursery gate price and the planting cost (transportation, planting, materials, manure, fertilizers, immediate care, and management costs, but not aftercare). Thus, Cost factor is sum of sapling cost and Cost of Transportation/planting etc. Note: Department of Forest as well as Department of Horticulture is used to notify the sapling price from time to time. Such value of a sapling shall be taken in to consideration. If, in any case, there is no notified price, then the market price of such sapling in that area where the tree is felt shall be taken in to consideration. In General cost of transportation/planting the sapling shall be taken as Rs100/- For example, a sapling of mango tree costs Rs 80/- so Cost Factor shall be sum of Cost of sapling Rs 80/- and planting cost Rs. 100/- i.e. Rs 180/-</p>
<p>Species Factor</p>	<p>Mountains are among the most vulnerable environments; they are also a rich repository of biodiversity (Kumar and Sharma, 2016). The Indian Himalayan Region (IHR), one of the most important mountain ecosystems of the world, supports unique natural and cultural diversity, manifested in the 18,440 plant species, including 1,748 and 675 species of medicinal importance and wild edibles, respectively (Negi and Gaur, 1994). In a recent study of Western Himalayas (Bhatt, 2020) it reveals that the more diverse plant communities support more diverse fauna communities, both of which exist at mid-altitudinal zones of Himalaya. Species factor is thus based on the spatial distribution of species (altitude wise) in Uttarakhand clubbed with the priorities of the species. The priority of the species is divided in three classes as Low, Moderate and High. The details of priority of species are provided as Annexure-I. Score card for the factor is reported between 0.5 to 1.0 and detail is provided in next section of the report.</p>



SUSHIL Digitally signed
KUMAR by SUSHIL KUMAR
Date: 2020.07.03
14:53:39 +05'30'



	<i>Weightage of the species is higher if the tree is in higher altitude. Weightage of different species is assigned based on the different types and values of the tree.</i>
<i>Condition Factor</i>	<i>It is an assigned value between 0.5 to 1.0 based on the condition of the tree which considers factors such as wounds, decay, storm damage, insect or disease damage, and form. It is based on the observation. In case, the felt tree is not available, an average of 0.75 would be considered. Score card for the factor is reported in detail in next section of the report.</i>
<i>Location Factor</i>	<i>It is based on the functional and aesthetic contribution that a tree makes to a site and the importance of the location in the context of the broader community. The location value lies between 0.5 and 1.0. Score card for the factor is reported in detail in next section of the report.</i>
<i>Royalty Value</i>	<i>For every tree which is felt, the Government has levied an amount as a royalty. The amount of such Royalty is proposed to be deducted and the final value so obtained will be termed as Environment Compensation. This is to clarify that the respective departments also obtained penalty for illegal felling of trees, which is higher than the Royalty value, but in the environment compensation regime only the Royalty value will be considered.</i>

Table B. Indexing of Various Factors

B.1 Score Chart for Species Factor

Considering the higher ecological importance of trees located at higher altitudes the Species classification is proposed based on the spatial distribution of species (altitude wise) in Uttarakhand clubbed with the priorities the species in Low, Moderate and High. Weightage of the species is higher if the tree is in higher altitude. An indicative table containing weightage of various tree species found in Uttarakhand is given under Annexure-I. Score chart for species factor is as under: -

Areal Weightage	High	Moderate	Low
Cool temperate-Subalpine (2501-3300m asl)	1.0	0.85	0.75
Warm temperate to Subalpine (2501-3000m asl)	0.90	0.80	0.70
Sub-Tropical to Cool temperate (1501-2500m asl)	0.80	0.70	0.60
Tropical (400-1500m asl)	0.75	0.60	0.50

B.2 Score Chart for Condition Factor



SUSHIL Digitally signed
by SUSHIL KUMAR
KUMAR Date: 2024.07.03
14:50:24 +05'30'



It is an assigned value between 0.5 and 1 based on the condition of the tree which considers factors such as wounds, decay, storm damage, insect or disease damage, and form. For simplicity's sake, a tree is usually placed in one of five classes whose value is expressed as a decimal in the formula. Following values are assigned based on condition of tree: -

Class	Tree Health Characteristics	Score
Excellent	Root plate is undisturbed, trunk is sound and solid. Excellent vigour with well-formed canopy	1.0
Good	Moderate damage and defects in root plate, trunk and canopy	0.75
Poor	Major (more than 50%) damage and defects in root plate, trunk and canopy which would be very difficult to restore	0.5

Note: If a felt tree is not found at site, then the condition, factor shall be taken as Good. If tree is found felt and it is difficult to find the condition, the decision will be taken based on surrounding habitat and the time series of satellite image like google images etc.

B.3 Score Chart for Location Factor

It is based on the functional and aesthetic contribution that a tree makes to a site and the importance of the location in the context of the broader community.

Site location	Score
Tree located in wild life sanctuaries, national Parks, Conservation Reserve, RF/PF, Eco sensitive Zone, Van Panchayat	1.0
Tree located in Nagar Nigam Area	0.85
Tree located in Nagar Palika Area	0.75
Tree located in Nagar Panchayat Area	0.65
Location in rural landscapes. Higher score to be given to trees 0.50 based on their proximity to commercial areas	

Note: If a tree is in the area designated under class Good and in Nagar panchayat Area and of religious importance then the score of one scale up category for calculation of Environment compensation. For banyan tree is in good class (in Nagar Panchayat area) and designated as religious importance of local community then the location factor shall be considered as assigned for Nagar Palika Area i.e. 0.75 instead of 0.65.

B.4 Royally Value

For every tree which is felt, the Government has levied an amount as a royalty. The amount of such Royalty is proposed to be deducted and the final value so obtained will be termed as Environment Compensation. Royalty value is notified per unit volume of the tree and the volume of the tree shall be respective departments also obtained penalty for illegal felling of trees, which is higher than the Royalty value, but in the environment compensation regime only the Royalty value will be considered.

C. Disclaimer



SUSHIL
KUMAR

Digitally signed
by SUSHIL KUMAR
Date: 2026.07.03
14:54:41 +05'30'



- This formula is not applicable on felling of such trees which are felt by obtaining requisite permission from the competent authorities.
- This formula is also not applicable to the species which are under exemption category as notified by Government from time to time."

Clarification-As per report provided by the Forest Department, Varanasi all identified 33 trees not obtained requisite permission from the Forest Department.

Assesment of Environment Compensation for illegal 33 trees cutting in BHU Campus

Environment Compensation = (Cost Factor x Trunk area of Tree x Species Factor x Condition Factor x Location Factor)-Royalty Value

Cost factor- Cost factor assessed by the forest Department as per annexure-1

Trunk Area- Trunk Area assessed by the forest Department as per annexure-1

Species Factor- Species factor taken as 0.7 as per table B.1

Condition Factor- Condition factor taken as 0.75 as per table B.2

Location Factor- Location factor taken as 0.85 as per table B.3

Royalty Value- Royalty Value assessed by the forest Department as as per annexure-1

On the basis of above values, assessment of Environmental Compensation for illegal tree cutting in BHU Campus as under:-

S. no.	Plant name	Cost Factor in Rs.	Trunk area of Tree in sqm	Species Factor	Condition Factor	Location Factor	Royalty Value	Assesment Value of EC in Rs.
1	Mango	1052	4976.38	0.7	0.75	0.85	2796.8	2333389.673
2	Mango	1052	4585.61	0.7	0.75	0.85	2796.8	2149940.743
3	Mango	1052	6019.77	0.7	0.75	0.85	3818	2822193.125
4	Gold Mohar	1052	4585.61	0.7	0.75	0.85	5765.2	2146972.343
5	Gold Mohar	1052	2300.94	0.7	0.75	0.85	4253.38	1075934.408
6	Mahuwa	1052	6694.89	0.7	0.75	0.85	3830.45	3139119.135
7	Mahuwa	1052	4779.61	0.7	0.75	0.85	2805.92	2241005.893
8	Mango	1052	397.4	0.7	0.75	0.85	818.8	185742.617
9	Mango	1052	397.4	0.7	0.75	0.85	818.8	185742.617
10	Mango	1052	2374.62	0.7	0.75	0.85	2254	1112523.232
11	Gold Mohar	1052	4415.62	0.7	0.75	0.85	5765.52	2067169.367
12	Katahal	1052	397.4	0.7	0.75	0.85	2741.23	183820.187
13	White Chandan	1052	4.906	0.7	0.75	0.85	475	1828.14623
14	White Chandan	1052	4.906	0.7	0.75	0.85	475	1828.14623
15	White Chandan	1052	176.62	0.7	0.75	0.85	1117	81798.1421
16	White Chandan	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	14227	437210.3171
17	White Chandan	1052	4.906	0.7	0.75	0.85	475	1828.14623
18	White Chandan	1052	4.906	0.7	0.75	0.85	475	1828.14623

SUSHIL
KUMAR

Digitally signed
by SUSHIL
KUMAR
Date: 2020.07.03
14:54:57 +05'30'

19	White Chandan	1052	176.62	0.7	0.75	0.85	1117	81798.1421
20	Sagaun	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
21	Sagaun	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
22	Sagaun	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
23	Sagaun	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
24	Sagaun	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
25	Sagaun	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
26	Sagaun	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
27	Sagaun	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
28	Sagaun	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
29	Sagaun	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
30	Sagaun	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
31	Sagaun	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
32	Sagaun	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
33	Sagaun	1052	961.62	0.7	0.75	0.85	3208.42	448228.8971
Total								26526877.08

As per above total assessment of Environment Compensession for illegal trees felling is Rs. 26526877.08 (Two crore sixty five lac twenty six thousand eight hundred seventy seven rupees and eight paisa only)

CP
03/07/26
(C.P. Verma)
Scientific Assistant

SUSHIL
KUMAR
(Sushil Kumar)
Assistant Scientific Officer

Digitally signed by
SUSHIL KUMAR
Date: 2026.07.03
14:48:54 +05:30'

Regional Officer

[Signature]
03/07/26